(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या - 36 नई दिल्ली, 22 फरवरी 2011

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वाँ) की धारा 48, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतत्द्वारा, कार्गो प्रहस्तन संभाग के श्रमिकों को तैनात करने के लिए लेवी के निर्धारण हेतु विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार निपटाता है ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महा पत्तन न्यास के टॉरिफ प्राधिकार

मामला सं. टी ए एम पी/32/2010-वि पो ट्र

विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट - - - - - **आवेदक**

आदेश

(जनवरी, 2011 के 18वें दिन में पारित किया गया)

यह मामला कार्गो संभलाई प्रभाग (सीएचडी) कर्मकारों के डिप्लाईमेंट के लिए समय दर मजदूरी के प्रतिशत के रूप में लेवी की जाने वाली लेवी निर्धारण के संबंध में विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट से (वि पो ट्र) से 4 मई 2010 में प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।

2.1. दिनांक 4 मई 2010 में वि पो ट्र ने अपने प्रस्ताव में कहा कि पोत परिवहन, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय से जारी की गई राजपत्र अधिसूचना के अनुसार विशाखपट्टणम डॉक लेबर बोर्ड (वीडीएलबी) विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के साथ 26 सितंबर 2008 से विलीन हुआ । इस संबंध में, सितंबर 2008 को औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा 12 (3) के अंतर्गत विशाखपट्टणम डॉक लेबर बोर्ड के प्रबंधन, उसके कर्मकारों की यूनियन और वीपीटी के बीच एक समझौता हुआ ।।

2.2 दिनांक 4 मई 2010 को वि पो ट्र द्वारा दिए गए प्रमुख मद निम्नांकित है :

(i) वीपीटी में वीडीएलबी विलीन होने के पूर्व, डॉक कर्मकार रोजगार विनियम जिसके अंतर्गत जो पंजीकृत योजना ओर अपंजीकृत योजनाओं को अनुमोदित किया है के अनुसार कर्मकारों को उपलब्ध किये गये कार्य अवसरों पर भुगतान की गई समय दर मजदूरी के प्रतिशत पर लेवी वसूल करने की पद्धति चालू थी । वीडीएलबी ने निर्णय लिया कि समय समय पर लेवी का प्रतिशत वसूल किया जाए । तदनुसार, स्टीवडोर्स दावों को बढ़ाते हुए आवधिक रूप से लेवी वसूल किया ।

(ii) कर्मकार वर्ग के चालू अधिकतम समय दर मजदूरी का 189% की दर से समेकित लेवी वसूल किया गया । लेवी की वसूली के अलावा, वास्तविक कार्य चान्सेस के लिए कर्मकारों को किया गया समय दर मजदूरी और पीस रेट का भुगतान स्टीवडोर्स से वसूल किया जाता है जो कार्गो संभलाई प्रभाग के कर्मकारों को नियुक्त करते हैं ।

(iii) मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 24 जून 2009 में निदेश दिया कि फिलहाल पूर्ण डिप्लॉयड के मजदूरी लागत को गिनते हुए लेबर के मजूदरी प्रतिशत के बजाय स्टीवडोरिंग लेवी टन्नेज के आधार पर केलिक्यूलेट किया जिसे बाद में अभिलेखित जा सके । इस निदेशों पर, ट्रेड के साथ बैठक हुई और ट्रेड ने लेवी वसूली में समय दर मजूदरी और पीस रेट के लिए वर्तमान पद्धति को कुछ ज्यादा अवधि तक जारी रखने का अनुरोध किया ।

(iv) विलीन के दिन पर, वीडीएलबी की कुल संख्या1228 था जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / सेवनिवृत्ति और मृत्यु के कारण कम होकर 1165 रही । पिछले तीन वर्षों 2010-11 और 2011-12 से 2013-14 वर्षों में सीएचडी प्रभाग के स्टाफ की संख्या क्रमश: 1165, 1015, 981 और 974 दिखाई गई ।

(v) लेवी वसूली करने का विचार संगठन के प्रशासनिक व्यय को लाभ-हानि से परे पूरा करना था । फिर भी, प्रशासनिक और कल्याण व्यय के लिए वूसल किया गया लेवी का प्रतिशत अपर्याप्त है और इस प्रक्रिया में वीडीएलबी और वर्तमान कार्गो संभलाई प्रभाग को हानि हुई है और 31 मार्च 2009 को सूचित वित्तीय घाटा 21.78 करोड़ हुआ । अस्थायी आंकडों के अधार पर वर्ष 2009-10 के दौरान रू. 24.40 करोड़ की प्रत्याशित हानि हुई ।

(vi) वि पो ट्र और ट्रेड के प्रतिनिधियों के बीच संपन्न हुई 18 मार्च 2010 की बैठक में ट्रेड के सीएचडी से संबंधित वित्तीय हानि की सूचना दी गई । बैठक में ट्रेड के प्रतिनिधियों ने 1 अप्रैल 2010 से 3 महीनों की अवधि तक वर्तमान लेवी को 189% से 250% तक बढ़ाने और 1 जुलाई 2010 से दर मजदूरी पर 350% की वृद्धि के लिए सहमत हो गये । टॉम्प के पास अनुमोदन के लिए लंबित लेवी को बढ़ाने के लिए भी सहमत हो गये ।

(vii) 30 मार्च 2010 को संपन्न हुई मंडल बैठक में वि पो ट्र के प्रस्ताव को वी पी टी मंडल ने मंजूरी दी ।

(viii) जलयान संभलाई के लिए स्टीवडोर को प्राक्कलित रकम का 100% अग्रिम के रूप में चुकाना पड़ता है जो जलयान पूरा होने के बाद अंतिम बिल में समायोजित किया जाता है । स्टीवडोर को निर्धारित अवधि में बकायों को पूरा करने में असफल होने पर, भारतीय स्टेट बैंक पीएलआर के अनुसार केलिक्युलेटेड ब्याज पर और दो प्रतिशत चुकाना होगा ।

(ix) वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए वि पो ट्र ने कार्गो संभलाई प्रभाग के 25 सितंबर 2008 और 31 मार्च 2009 के समेकित तुलन पत्र और आय और व्यय प्रस्तुत किये है । पोर्ट ने कार्गो संभलाई प्रभाग के वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के वास्तविक कास्ट स्टेटमेंट के वर्तमान दर और वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के प्राक्कलन का ब्यौरा भी दिया है । वि पो ट्र द्वारा फाईल की गई कास्ट स्टेटमेंट में दिखाई गई कास्ट पोजीशन का सारांश नीचे दिया गया है :

क्र. स.	विवरण	वास्तविक		वर्तमान टॉरिफ पर प्राक्कलन			
		2008-09	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
(i)	कुल आय	4424.26	3173.10	4529.38	4492.21	4628.99	4778.22
(ii)	व्यय (आरओसी ई को मिलाकर)	5172.36	559406	595171	6095.31	6814.93	7018.44
(iii)	पूँजी नियोजित	--	209.03	185.99	163.86	141.74	119.61
(iv)	आरओसीई :						
	व्यापार परिसंपत्तियों पर 16%	--	10.31	9.04	7.91	6.78	5.65
	व्यापार से संबंधित परिसंपत्तियों पर 6.35%	--	9.18	8.2	7.27	6.31	5.35
(v)	कुल व्यय +आरओसीई (ii+iv)	5172.36	5613.55	5968.97	6110.48	6828.02	7029.44
(vi)	आय के ऊपर अधिक व्यय (I-v)	(748.10)	(2440.45)	(1439.59)	(1618.27)	(2199.03)	(2251.22)

2.3 इस पृष्टभूमि में, और जैसा कि लेवी वसूली के लिए ट्रेड द्वारा तदर्थ दर को ट्रेड ने आपसी सहमति दी वि पो ट्र ने निम्न दरों के लिए अनुमोदन प्राप्त किया :

(i) कर्मकारों के दैनिक मजदूरी दर @ 250% से तीन महीनों की अवधि अर्थात 1 अप्रैल 2010 तक और 350% की दर पर 1 जुलाई 2010 से आगे लेवी वसूल किया जाए ताकि प्रबंधन और अन्य कल्याण कार्यों के व्यय को पूरा किया जा सके ।

(ii) वास्तविक पर समय दर मजदूरी और पीस रेट भुगतान वसूल करना और साथ में वर्तमान पद्धति के अनुसार थर्मल कोयला पर पी आर लेवी को भी वूसल करना ।

(iii) बिना आपत्ति के सभी प्रचालनों पर समय समय पर निर्धारित किये अनुसार लेवी प्रतिशत वसूल करना ।

2.4 तदनुसार, वि पो ट्र ने - पोर्ट की दर-मान में निम्नांकित को शामिल करने का प्रस्ताव रखा :

(i) वि पो ट्र के प्रस्तावित दर-मान की धारा - 1 में कार्गो संभलाई प्रभाग की परिभाषा, डॉक कार्य, डॉक कर्मकार, लेवी दर, समय दर मजदूरी और पीस रेट को शामिल करने के लिए प्रस्ताव किया गया ।

(ii) धारा 4 के अंतर्गत निम्नांकित को शामिल करना - कार्गो संबंधित प्रभार की अनुसूची 4.7.4: -

कार्गो संभलाई सेवाओं पर लेवी :

क्र सं.	विवरण	लेवी
(i)	ट्रेड से कर्मकारों को उपलब्ध कराये गये कार्य चान्सेस पर दी गई दैनिक मजदूरी दर पर लेवी वसूल करना ।	1 अप्रैल 2010 से दैनिक मजूदरी दर तीन महीनों की अवधि के लिए 250% और 1 जुलाई 2010 से 350% ।
(ii)	समय दर मजदूरी और पीस रेट भुगतान की वसूली (वर्तमान पद्धति के अनुसार थर्मल कोल पर भी पी आर लेवी वसूल की जायेगी ।)	वर्तमान के अनुसार

3. प्रस्तावित लेवी प्रतिशत कार्य को प्रस्तुत करने के हमारे सुझाव पर वि पो ट्र ने दिनांक 2 जून 2010 के पत्र में निम्नांकित को प्रस्तुत किया :

(i) 2008-09 में कार्गो संभलाई प्रभाग की लेवी से आय रू.44.24 करोड़ थी और वर्ष 2009-2010 में यह रू. 31.73 करोड़ प्रत्याशित थी । वर्ष 2008-09 में इसका व्यय रू. 51.72 करोड़ है जिसमें रू. 7.48 करोड़ का घाटा है । वर्ष 2009-10 में आपरेटिंग व्यय रू. 55.94 करोड़ प्रत्याशित था और पूँजी नियोजन पर प्रतिलाभ रू. 0.19 करोड़ को ध्यान में रखते हुए कुल व्यय का प्राक्कल रू. 56.13 करोड़ था जिसमें रू. 24.40 करोड़ का घाटा है ।

(ii) 31.03.2009 से, कार्गो संभलाई प्रभाग का संचित घाटा रू. 21.78 करोड़ और पेंशन निधि में रू. 27.09 करोड़ की कमी है । विलयन पूर्व स्कीम के अनुसार, सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति कमी सहित पूरा व्यय स्टीवडोर के खाते में है । तदनुसार, पेंशन निधि में कमी और 31.03.2009 को संचित घाटा, 5 वर्ष की अवधि के लिए अस्थगित व्यय समझा गया ।

(iii) उपर्युक्त अस्थगित व्यय रू. 9.77 करोड वार्षिक पर विचार करने पर कुल व्यय रू. 65.90 करोड़ वार्षिक हो गया जब कि प्रत्याशित आय का प्राक्कलन रू. 31.73 करोड़ है । ऊपर बताये गये आय और व्यय पर विचार करते हुए वर्तमान लेवी को 1.4.2010 से 189% से 350% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया ।

(iv) ग्रूप `सी ` और ` डी ` कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप, दैनिक मजदूरी में भी वृद्धि हुई । चूँकि दैनिक मजदूरी पर प्रतिशत लेवी है अतः इस कारण अतिरिक्त अंशदान हुआ । 161% वृद्धिगत लेवी को ध्यान में रखते हुए लेवी में रू. 12.89 करोड़ की अतिरिक्त वसूली होगी।

(v) बढ़ायी गयी लेवी के उक्त प्रस्ताव को स्टीवडोर्स के सामने रखा गया विस्तृत चर्चा के बाद स्टीवडोर्स ने दिनांक 1.4.2010 से लेवी को 250% तक बढ़ाने और एक वर्ष तक वाच करने के लिए सम्मति दी । विस्तृत चर्चा के बाद वे दिनांक 1.4.2010 से लेवी 250% और 1.7.2010 से 350% तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गये ।

(vi) स्टीवडोर्स ने आगे कहा कि वर्तमान करार एवं उनके अधिकतर नियम जून 2010 को समाप्त हो जाएंगे और नए करार जुलाई 2010 से प्रारंभ किये जायेगे । इस संदर्भ में, उन्होंने 1.4.2010 से प्रारंभ हुए तीन महीनों की अवधि के लिए वर्तमान करार दर से 250% लेवी पर विचार करने के लिए अनुरोध किया उसके बाद नए करार में जाने के लिए, 350% प्रस्तावित लेवी को प्रिंसपल्स के सूचना में रखने और तदनुसार नए करारों को अंतिम रूप देने के लिए अनुरोध किया ।

(vii) उक्त औचित्य को ध्यान में रखते हुए, यद्यपि दिनांक 1.4.2010 से 350% लेवी प्रस्तावित की गई परन्तु 1.4.2010 से तीन महीनों की अवधि के लिए 250% और 1.7.2010 के आगे से 350% लेवी पर विचार किया गया ।

4.1 तमिल नाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) ने उनके दिनांक 17 अप्रैल 2010 के पत्र में सूचित किया कि वि पो ट्र ने दिनांक 30 मार्च 2010 के पत्र में सूचित किया कि लेबरों को नियुक्त करने के लिए लेवी 1 अप्रैल 2010 से वर्तमान लेवी 184% से 250% और 1 जुलाई 2010 से 350% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है । इसलिए, दिनांक 27 अप्रैल 2010 के हमारे पत्र में वि पो ट्र से अनुरोध किया गया कि टीएनईबी द्वारा दिये गये पाइंटों पर विवरण दें और साथ में इस की अनुज्ञप्ति दें कि किस आधार पर वृद्धिगत लेवी पोर्ट द्वारा वसूल की जा रही है । ।

4.2 वी पी टी ने अपेन प्रस्ताव को दोहराते हुए दिनांक 27 मई 2010 के पत्र में टीएनईबी के पाइंटों पर उत्तर दिया । वी पी टी द्वारा दिये गये मुख्य पाइंटों का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है :

(i) वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए कार्गो संभलाई प्रभाग के सामने रू. 23.00 करोड़ की वित्तीय कमी थी, प्रबंधन ने ट्रेड सदस्यों की उपस्थिति में वर्तमान लेवी तीन महीनें की अवधि अर्थात 1.4.10 से 30.6.2010 तक 189% से बढ़ाकर 250% और उसके बाद 350% लेवी बढ़ाने के लिए सम्मति से निर्णय लिया ।

(ii) बताया गया कि जब ट्रेड के साथ लेवी का प्रतिशत बढ़ाने पर सम्मति हुई उस समय इस बैठक में मेसर्स टीएनईबी का हैंडलिंग ऐजन्ट था । इस संदर्भ में पोर्ट ने दिनांक 18.3.2010 को ट्रेड के साथ संपन्न हुई बैठक की कार्यवृत्त की प्रति भी दी ।

4.3 वि पो ट्र द्वारा दिये गये पाइंटों के संदर्भ में, हमारे पत्र दिनांक 9 अगस्त 2010 में वि पो ट्र को बताया गया कि वि पो ट्र के दर मान में कार्गो संभलाई प्रभाग से कर्मकारों के डिप्लायमेंट के लिए लेवी को इस प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं दी गई, । महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 48 के अनुसार सूचीगत सेवाओं के लिए, प्राधिकार की अनुमति के बिना टैरिफ वसूली करने के लिए महा पत्तन न्यास को अधिकार नहीं है । प्रस्तावित दर को वसूल न करने का वि पो ट्र का निर्णय यदि कोई है तो, पोर्ट को उसके दायित्व और परिणाम भुगतने होंगे ।।

5. निर्धारित पद्धति के परामर्श के अनुसार, दिनांक 4 मई 2010 को वि पो ट्र से प्राप्त प्रस्ताव संबंधित उपभोक्ताओं को / संगठन निकायों को उनके विचार जानने लिए परिचालित किया गया । उपभोक्ता / संगठन निकायों से प्राप्त टिप्पणी वि पो ट्र को फीड़बेक सूचना के रूप में भेजी गई । उपभोक्ता / संगठन निकायों से दिये गये विवरण और टिप्पणी पर वि पो ट्र ने अपने विचार प्रस्तुत किये ।

6.1 प्रस्ताव की प्रारंभिक संवीक्षा के आधार पर, वि पो ट्र से हमारे पत्र दिनांक 9 सितंबर 2010 के द्वारा विविध पाइंटों पर सूचना / स्पष्टीकरण देने के लिए अनुरोध किया गया । वि पो ट्र ने दिनांक 22 अक्तूबर 2010 के पत्र में जवाब दिया । हमारे द्वारा उठाये गये प्रश्न और वि पो ट्र द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण नीचे तालिकाबद्ध रूप में दिये गये हैं :

क्र सं.	हमारे द्वारा उठाये गये प्रश्न	वि पो ट्र द्वारा दिये गये जवाब
(i)	यह बताया गया कि 26 सितंबर 2008 से विशाखपट्टणम डॉक लेबर बोर्ड (विडीएलबी) विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट में विलीन हो गया और प्रचालन पोस्ट-मर्जर महापत्तन न्यास अधिनियम के अंतर्गत आ जाता है । लेकिन लेवी निर्धारण प्रस्ताव मई 2010 में फाईल किया गया । प्रस्ताव फाईल करने में 1 1/2 वर्ष विलंब होने के कारण स्पष्ट करें ।	औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12 (3) के अंतर्गत, वीपीटी में वीडीएलबी के विलयन के समय स्टीवडोर्स से वर्तमान पद्धति के अनुसार किये गये समझौता ज्ञापन में समय दर मजदूरी पर लेवी वसूली करने का प्रस्ताव था । तदनुसार, प्रतिशत के आधार पर लेवी वसूली जारी रहा । उपर्युक्त मामले पर, महापत्तनो के लिए स्टीवडोरिंग नीति - लेवी कर्मकारों की मजदूरी के प्रतिशत के बजाय टन्नेज के आधार पर करने के लिए दिनांक 24-6-09 का मंत्रालय का पत्र दिनांक 13.7.2009 को प्राप्त हुआ । मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, टन्नेज के आधार पर लेवी वसूल की जाए और तदनुसार दिनांक 3.8.2009 को संपन्न मंडल बैठक में कार्यसूची मद रखा गया जिसमें मंत्रालय के निदेशों पर टॉम्प के अनुमोदन की शर्त पर मंडल ने कर्मकारों के मजदूरी के प्रतिशत के बजाय टन्नेज के आधार पर लेवी वसूल करने के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमति दी । मंडल के अनुमोदन के बाद, टन्नेज के आधार पर लेवी वसूल करने के कार्य की रूपात्मकता के लिए एक समिति का गठन किया और उसके बाद समिति ने अन्य महा पत्तन न्यासों में, टन्नेज के आधार पर लेवी वसूली के कार्यान्वयन संबंधी जानकारी की सूचना प्राप्त की । इस प्रस्ताव के निश्चित होने के बाद, स्टीवडोर्स को 13.2.2010 को और बाद में दिनांक 24.2.2010 और 3.3.2010 को आयोजित बैठकों में आमंत्रित किया गया । 18.3.2010 को आयोजित बैठक में, स्टीवडोर्स ने टन्नेज के आधार के बजाय लेवी प्रतिशत को कुछ समय तक जारी करने का अनुरोध किया । उक्त बैठक में 1.4.2010 से प्रारंभ तीन महीने की अवधि के लिए 250% दर पर बढ़ाया लेवी और 1.7.2010 के बाद से 350% दर पर और उसके बाद टन्नेज के आधार पर लेवी वसूल करने के लिए सम्मति दी । सम्मति के अनुसार, दिनांक 31.3.2010 को आयोजित वि पो ट्र के न्यासी मंडल बैठक में प्रतिशत के आधार पर लेवी वसूल करने के लिए और यह प्रस्ताव टॉम्प को प्रस्तुत करने का संकल्प किया । इन परिस्थितियों में, यह प्रस्ताव टॉम्प को फाईल करने में 1 1/2 वर्ष का विलंब हुआ ।

<table>
<tr>
<td>(ii)</td>
<td>(क) विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के साथ पूर्व विशाखपट्टणम डॉक लेबर बोर्ड को विलीन करने के उद्धेश्य-नियमित रूप से रोजगार सुनिशिचत करना, उच्च श्रम उत्पादकता, जलयान का शीघ्र आवर्तन और कार्गो संभलाई में दर प्रभाव- समझौता ज्ञापन में विशिष्ट रूप से दिखाये गये थे । कृपया समझौता ज्ञापन में उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई कार्रवाई को स्पष्ट करें ।</td>
<td>विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के साथ पूर्व विशाखपट्टणम डॉक लेबर बोर्ड को विलीन करने के समझौता ज्ञापन में दिखाये गये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्गो संभलाई प्रचालन में दर के प्रभावी होने की दिशा में वि पो ट्र ने मेनिंग स्केल पर नेशनल ट्रिब्युलन अवार्ड को कार्यान्वित किया और तदुनसार कार्गो संभलाई की विविध गतिविधियों में मेनिंग स्केल का संशोधन किया । परिणाम स्वरूप प्रति हुक,प्रति पारि में मेनपावर कम होगयी और साथ ही 31.3.2010 के वर्तमान टॉरिफ के अनुसार प्रति टन दर में हुई बचत को दिखाया गया । वि पो ट्र द्वारा दिया गया विवरण निम्न है :

कार्गो संभलाई प्रचालन में प्रति टन पर दर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल अधिनियम से पूर्व और उसके बाद

रू. प्रति टन
<table>
<tr><th>कार्गो का नाम</th><th>पहले मेनिंग स्केल पर कार्यान्वयन</th><th>बाद में मेनिंग स्केल पर कार्यान्वयन</th><th>यूनियन करार के बाद मैनिंग स्केल का कार्यान्वयन</th></tr>
<tr><td>उर्वक</td><td>20.00</td><td>6.00</td><td>21.00</td></tr>
<tr><td>लोहा अयस्क</td><td>44.00</td><td>59.00</td><td>233.00</td></tr>
<tr><td>कोकिंग कोल</td><td>16.00</td><td>6.00</td><td>16.00</td></tr>
<tr><td>सामान्य कार्गो</td><td>54.00</td><td>134.00</td><td>121.00</td></tr>
<tr><td>सभी कोक</td><td>22.00</td><td>9.00</td><td>27.00</td></tr>
<tr><td>बल्क कार्गो</td><td>37.00</td><td>8.00</td><td>24.00</td></tr>
</table>
उक्त के अतिरिक्त उच्च श्रम उत्पादकता को सुनिशिचत करने के लिए पोर्ट ने वर्तमान विद्युत वार्फ क्रेनों के स्थान में अधिक क्षमतावाले वार्फ क्रेनों को रखने ओर साथ में वर्तमान ग्रेब क्षमता में अधिक क्षमतावाले ग्रेबों को रखने का प्रस्ताव रखा । इन सभी प्रयासों से लंबी अवधि के आधार पर जलयान का शीघ्र आवर्तन सुनिशिचित होगा अत: यह कहा जा सकता है कि पोर्ट ने समझौता ज्ञापन उद्धेश्यों को पूरा करने का प्रयास किया ।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(ख) विलयन पूर्व दो वर्षों अर्थात 2006-07 एवं 2007-08 एवं विलयन के बाद अगस्त 2010 तक कार्गो संभलाई कर्मकारों के औसतन प्रति हुक, प्रति पारी वस्तुवार, जलयान का आवर्तन संबंधी तुलनात्मक स्थिति बतायें ।</td>
<td>कार्गो संभलाई कर्मकारों के लिए औसतन प्रति हुक, प्रति पारी वस्तुवार, जलयान का आवर्तन, दो वर्ष 2006-07, 2007-08 विलयन के पहले और पोस्ट विलयन 31.8. 2010 की अवधि तक उत्पादकता की तुलनात्मक स्थिति का विवरण दिया गया ।</td>
</tr>
</table>

(iii)	(वि पो ट्र द्वारा अग्रेषित) नई स्टीवडोरिंग नीति का प्रतिपादित करने संबंधी दिनांक 24 जून 2009 के भारत सरकार के पत्र सं. एलबी-130184/05-एल-ii देखें, जिसमें सभी पत्तन न्यासों को निदेश किया कि कर्मकार के मजदूरी प्रतिशत के बजाय टन्नेज के आधार पर स्टीवडोरिंग लेवी का परिकलन करें । इस संदर्भ में वि पो ट्र ने सरकार के निदेशों को अनुपालन ना करने के मान्य कारण नहीं देने को छोड़कर स्टीवडोरिंग अनुरोध पर वर्तमान मजदूरी दर के प्रतिशत पद्धति पर लेवी वसूल जारी रखने के लिए कहा । वि पो ट्र से अनुरोध है कि सरकार के निदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण स्पष्ट करें । यदि, प्रति टन की लेवी पर स्टीवडोरिंग की गतिविधि पर वि पो ट्र ने सरकार से पूछताछ किया और सरकार से कोई छूट प्राप्त किया हो तो, संबंधित कागज़ात प्रस्तुत करें ।	उपर्युक्त स्पष्टीकरण क्र सं.(i) में, फरवरी 2010 में आयोजित बैठक में स्टीवडोर ने वर्तमान प्रतिशत के आधार पर लेवी वसूली कुछ समय तक जारी रखने के लिए अनुरोध किया और तदनुसार वि पो ट्र ने मंडल बैठक में प्रतिशत के आधार पर लेवी वसूल जारी करने के लिए संकल्प किया । बैठक में लिये गये स्टीवडोर के निर्णय के समर्थन में, बैठक के कार्यवृत्त प्रस्तुत किये गये ।
(iv)	वि पो ट्र द्वारा दिनांक 1.7.2010 से दैनिक मदजूरी दर पर लेवी 350% का प्रस्ताव फाइल किया गया । कार्गो संभलाई प्रभाग के कर्मकारों की नियुक्त करने के लिए प्रस्तावित लेवी के संबंध में ट्रेड सदस्यों के साथ आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में यह दिखाया गया है कि ट्रेड ने वर्तमान प्रतिशत के आधार पर लेवी वसूली की पद्धति कुछ समय तक जारी रखने का अनुरोध किया । सरकारी निदेशों के अनुसार वि पो ट्र टन्नेज के आधार पर दरों में परिवर्तन लाने के पहले कितने समय तक का लेवी की प्रतिशत पद्धति जारी रखेगा, यह स्पष्ट नहीं है ।	वि पो ट्र ने लेवी दर 350% वसूल करने का प्रस्ताव उस समय तक रखा है जब तक दिनांक 31.3.2009 को रू. 21.78 करोड़ प्रोदभूत वित्तीय कमी और आगे दिनांक 31.3.2010 तक (लेखा परीक्षा के अनुसार) रू. 41.74 करोड़ की प्रोदभूत और साथ में पेंशन निधि में रू. 166 करोड़ कमी को पूरा नहीं किया जाता । यह प्रत्याशित है कि प्रस्तावित दर 350% 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा ताकि प्रोदभूत वित्तीय कमी के साथ साथ पेंशन निधि की कमी को भी पूरा किया जा सकें । यदि वही 5 वर्ष से कम समय में होने से, मंत्रालय के निदेशों के अनुसार टन्नेज के आधार पर लेवी वसूल करने के लिए प्रबंधन आवश्यक कार्रवाई करेगा ।
(v)	सी एच डी से नियोजित श्रमिकों की उत्पादकता के संदर्भ में वी पो ट्र द्वारा दिया गया कार्गोवार निष्पादन का आश्वासन स्पष्ट रूप से बताना होगा, जो दर-मान में एक शर्त के रूप में शमिल किया जाएगा । वी पो ट्र को स्पष्ट करे कि प्रस्तावित दर प्राप्त करने केलिए कैसे मान लिया कि पोर्ट में कार्गो संभलाई कर्मकारों के विलयन से उत्पादकता में वृद्धि होगी ।	व्यापार योजना में सूचित पूर्वानुमान के आधार पर भविष्य में वर्तमान कार्गो प्रोफाइल ही जारी रहेगा । सीएचडी कर्मकारों को वर्क चान्सेस उपलब्ध कराने के लिए, प्रत्याशित है कि भविष्य में भी बल्क कार्गो संभलाई जारी रहेगा और इस के लिए सीएचडी कर्मकारों को नियुक्त करने के लिए कारण होगा । इस आश्वासन पर, पोर्ट ने भविष्य में प्रतिशत के आधार पर लेवी वसूल करने का प्रस्ताव किया । विलीन के बाद सीएचडी के उत्पादन में वृद्धि दिखाई गई ।

(vi)	(क) मंत्रालय द्वारा गठित त्रिपक्षीय निकाय में प्रबंधन के, यूनियन और स्टीवडोर से सदस्य होते हैं प्रस्ताव में बताया गया है कि त्रिपक्षीय निकाय के अनुमोदन के आधार पर पोर्ट द्वारा 189% समय दर मजदूरी वसूल किया जाता है । कृपया वर्तमान लेवी की मंजूरी प्रति और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित राजपत्र की अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत करें ।	त्रिपक्षीय निकाय में यूनियन, स्टीवडोर के प्रतिनिधि और प्रबंधन से सदस्य होते हैं उनके द्वारा समय दर मजूदरी 189% वसूली करने का संकल्प किया गया । आगे, डॉक लेबर बोर्ड के लेवी दरों को राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और इसलिए इसके लिए राजपत्र अधिसूचना उपलब्ध नहीं है ।
	(ख) पहले ही निर्धारित किया वर्तमान 189% लेवी अतीत में किस आधार पर निर्धारित की गई उसके बारे में संक्षिप्त में स्पष्टीकरण दें ।	वर्तमान 189% लेवी में विविध प्रकार की लेवी है अर्थात 95% दर पर सामान्य लेवी, 39% दर पर विशेष लेवी और 50% दर पर अतिरिक्त लेवी और समय दर मदजूरी पर 5% का उत्पादकता लिंकड रिवार्ड लेवी । संगठन के प्रशासनिक व्यय के लिए सामान्य लेवी, श्रेणी - I और श्रेणी - II के अधिकारियों के लिए और श्रेणी - `सी ` और `डी ` कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन के बकायों खाते पर व्यय को पूरा करने के लिए विशेष लेवी, संचित वित्तीय कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लेवी और 5% लेवी कर्मकारों को पीएलआर चुकाने के लिए । यह जिम्मेदारी सिर्फ स्टीवडोर की है जो डॉक कर्मकार रोजगार विनियम एवं रोजगार अधिनियम योजना के अंतर्गत पहले में ही रखा गया ।
(vii)	प्रस्ताव यह बताता है कि थर्मल कोल पर समय दर मजदूरी तथा पीस-रेट (उजरती दर) भुगतान वास्तविकता पर वसूल किया जाएगा । इस संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की जाए :-	
	(क) इस कार्गो मद के लिए केवल वास्तविकता के आधार पर ही लेवि जुटाने के लिए भिन्न तरीका प्रस्तावित करने के कारणों का औचित्य बतायें ।	इस पोर्ट में बल्क में बडी मात्रा में थर्मल प्राप्त किया जाता है और कार्गो संभलाई का परिचालन डॉक वर्कर्स द्वारा किया जाता है । इस प्रक्रिया में चूँकी स्टिवडोर्स को सभी भुगतानों सहित समय-दर मजदूरी, पीस-रेट (उजरती दर) भुगतान तथा लेवि प्रतिशत के अलावा समयोपरी भत्ता इत्यादि का अन्य व्यय भुगतान करना पडता है, तथा इस पोर्ट में और अधिक कार्गो आकर्षित करने के उद्धेश्य से थर्मल कोल के लिए लागत सार्थकता का प्रस्ताव किया गया । इसको ध्यान में रखकर थर्मल कोल पर समय-दर मजदूरी (टाइम-रेट वेजि) किया और पीस-रेट भुगतान संग्रह करने का प्रस्ताव किया गया ।

<table>
<tr><td></td><td>(ख) कृपया थर्मल कोल संभलाई के लिए श्रमिकों को नियोजित करने संबंधी वास्तविक आय और वास्तविक व्यय के बारे में, विलयन से पूर्व और विलयन के बाद की अवधि के लिए अलग से लागत विवरणिका में सूचित करें ।</td><td>विलयन से पूर्व और विलयन के बाद की अवधि के लिए थर्मल कोल संभलाई हेतु नियोजित श्रमिकों के बारे में वास्तविक आय और वास्तविक व्यय के विवरण प्रस्तुत किया गया है । वि. पो. ट्र. द्वारा थर्मल कोल के लिए प्रस्तुत की गयी लागत विवरणिका का सारांश नीचे दिया गया है :
(रू. लाख में)
<table>
<tr><td>क्रमांक</td><td>विवरण</td><td>26.09.08 से 31.03.09 तक</td><td>2009-10</td><td>01.04.10 से 31.08.10 तक</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>आय</td><td>469.47</td><td>1009.96</td><td>1500.35</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>व्यय</td><td>757.41</td><td>1544.48</td><td>1039.71</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>अधिशेष / हानि</td><td>(-)287.94</td><td>(-)534.52</td><td>(-)460.64</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>कृपया यह दर्शायें कि, लेवि के लिए थर्मल कोल की संभलाई हेतु अप्रत्यक्ष लागत जैसे अतिरिक्तों (ओवरहैड्स) इत्यादि को कैसे निर्धारित किया जा सकता है ?</td><td>लेवि रेट के लिए अप्रत्यक्ष लागत जैसे अतिरिक्तों (ओवरहैड्स) का संग्रह, थर्मल कोल और अन्य कार्गो की मात्रा के बीच अनुपात के आधार पर किया जाता है ।</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>कृपया पुष्टि करें और दिखायें कि इस कार्गो द्वारा अन्य कार्गो से किसी प्रकार का क्रास सबसडि प्राप्त नहीं किया गया है ।</td><td>यह पुष्टि किया जाता है कि इस कार्गो द्वारा कोई क्रास सबसडि प्राप्त नहीं की गयी है और उसके समर्थन में लागत विवरणिक संलग्न की गयी है ।</td></tr>
<tr><td>(च)</td><td>थर्मल कोल पर पी आर लेवि शब्द की व्याख्या दें । थर्मल कोल से इस प्रकार की लेवि जुटाने के लिए विद्यमान प्रक्रिया समझायें ।</td><td>सामान्य लेवि 95% के अलावा, उतराई वैगनों पर थर्मल कोल परिचालन के लिए नियोजित वर्कर्स के समय-दर मजदूरी का 95% की दर पर एक अन्य लेवि वसूल किया जाता है और इसे पी.आर. लेवि कहा जाता है तथा वर्तमान लेवि का प्रतिशत 300% है जबकि 1.4.2010 से 30.6.2010 तक यह 250% था ।</td></tr>
<tr><td>(viii)</td><td>वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लिए 25 सितंबर 2008 तक एवं 26 सितंबर 2008 से 31 मार्च 2009 तक (अगस्त 2010 तक) का वी.डी.एल.बी. को वी.पी.टी.के साथ विलयन के बाद एवं वर्ष 2010-11 से 2013-14 के प्राक्कलन के संदर्भ में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें :-</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(क) प्रति हुक / प्रति गैंग वर्कर्स का ऑन-बोर्ड गठन (कम्पोजिशन)</td><td>प्रति हुक / प्रति गैंग ऑन-बोर्ड वर्कर्स का गठन वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लिए 25.9.2008 तक तथा 26.9.2008 से 31.3.2009 तक 2010-11 तक (अगस्त 2010 तक) वी डी एल बी का वी पी टी के साथ विलयन के बाद तथा वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है ।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) संभलाया गया कार्गोवार वास्तविक यातायात तथा सी एच डी से स्टीवडोरिंग सर्विसेस प्राप्त कार्गो विवरण प्रस्तुत करें । ये विवरण वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए अनुमानित कार्गो उत्पादन के लिए भी प्रस्तुत करें ।</td><td>संभलाया गया कार्गोवार वास्तविक यातायात तथा सी एच डी से सर्विसेस प्राप्त वर्ष 2007-08 से 31.3.2010 तक, तथा वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के लिए प्रक्षेपण सहित प्रस्तुत किया गया है ।</td></tr>
</table>

(ix)	परिशोधित टैरिफ (प्रशुल्क) मार्गदर्शन के खण्ड 2.6.2 के अनुसार, विधि की सम्यक प्रक्रिया के बाद कार्मिक आवश्यकता माप / डॉटम को नियमित रूप से व्यवस्थित करना आवश्यक है । साथ ही समझौता ज्ञापन में यह अनुबद्ध है कि वर्कर्स का नियोजन, यूनियनों द्वारा नैशनल ट्रिब्यूनल एवार्ड पर फाइल की गयी रिट पिटिशन (समादेश-याचिका) के निष्कर्ष की शर्त पर होगा । उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल एवार्ड पर रोक हटा दिया और देश के सभी महा पत्तनों में इसे तुरंत कार्यान्वयित करने के आदेश दिये । अत: वी पी टी को पुष्ट करना है कि, क्या नैशनल ट्रिब्यूनल एवार्ड के अनुसार परिशोधित कार्मिक आवश्यकता माप को, सी एच डी से श्रमिक नियोजन के संदर्भ में कार्यान्वयित किया जाया है ? इस विषय में वी पी टी कृपया निम्नलिखित प्रस्तुत करें ।	
	(क) नैशनल ट्रिब्यूनल एवार्ड द्वारा परिशोधित कार्मिक आवश्यकता माप अधिसूचित करने से पूर्व कार्मिक आवश्यकता माप का पुनरीक्षण करने के बाद विविध वस्तुओं के लिए कार्मिक आवश्यकता माप की तुलनात्मक स्थिति दर्शाने वाली एक विवरणिका ।	वी पी टी ने नैशनल ट्रिब्यूनल एवार्ड का कार्यान्वयन किया तथा तदनुसार कार्मिक आवश्यकता माप भी नये बनाये । वर्तमान कार्मिकशक्ति का नियोजन परिशोधित कार्मिक आवश्यकता मापन के अनुसार है । पत्र में यथा सूचित अनुसार नैशनल ट्रिब्यूनल एवार्ड द्वारा परिशोधित कार्मिक आवश्यकता माप अधिसूचित करने से पूर्व तथा कार्मिक आवश्यकता माप का पुनरीक्षण करने के बाद विविध वस्तुओं के लिए कार्मिक आवश्यकता माप की तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत की गयी है ।
	(ख) कृपया स्पष्ट करें कि लागत विवरण में स्वीकृत (टाइम-रेटवेज कॉस्ट) समय-दर मजदूरी लागत, परिशोधित कार्मिक आवश्यकता माप के अनुसार श्रमिक के वास्तविक नियोजन के आधार पर है, और इस संबंध में वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के लिए परिकलन प्रस्तुत करें ।	लागत विवरणिका में स्वीकार की गयी टाइम-रेट-वेज (समय-दर मजदूरी) परिशोधित कार्मिक आवश्यकता मानक के अनुसार श्रमिक के वास्तविक नियोजन के आधार पर है । संबंधित वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए स्वीकृत परिकलन के विवरण प्रस्तुत किये गये हैं ।
	(ग) वि.पो.ट्र. ने 2010-11 से 2013-14 तक प्रत्येक वर्ष के लिए 313 संख्या में नैमित्तिक मजदूरों को स्वीकार किया हैं । कृपया यह सूचना दें कि लागत विवरण में नैमित्तिक मजदूरों के लागत के संबंध में क्या निरूपण दिया गया हैं और यह भी सूचना दें कि, किस कार्गो संभलाई कार्यप्रणाली के लिए उन्हें नियोजित किया गया । कृपया लागत विवरणिका में अनुमानित नैमित्तिक मजदूरों की लागत दर्शाने के लिए कार्यचालन प्रस्तुत करें कि - यह समझौता ज्ञापन के अनुसार, प्रति दिन रू. 250 दैनिक मजदूरी के आधार पर है ।	वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक हर वर्ष स्वीकार्य 313 नैमित्तिक मजदूरों को डी एल बी के नियमित श्रमिकों की समाप्ति होने के बाद तटीय तथा कार्गो संभलाई परिचालन के लिए नियोजित किया गया । लागत विवरण तैयार करते समय इन नैमित्तिक मजदूरों को दिया गया निरूपण, अलग से दिखाया गया है ।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>(घ) कृपया विलयन के बाद की अवधि, तथा वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए कार्गो संभलाई मजदूरों की (वर्षवार) नियुक्ति के औसतन दिनों की सूचना दें । कृपया दर्शायें कि, वी डी एल बी विलयन के बाद सी एच डी से मजदूरों की कोई नैशनल बुकिंग नहीं हुई है ।</td>
<td>सी एच डी के औसतन दिनों की नियुक्ति को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत है । संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गयी है :

पंजीकृत कर्मकार :
(औसतन नियुक्ति दिनों में)
<table>
<tr><th>वर्ग</th><th colspan="2">वास्तविकता</th><th colspan="3">अनुमान</th></tr>
<tr><th></th><th>2007-08</th><th>2009-10</th><th>2010-11</th><th>2011-12</th><th>2012-13</th></tr>
<tr><td>टाली क्लर्क</td><td>23</td><td>7</td><td>14</td><td>13</td><td>14</td></tr>
<tr><td>टिंडल</td><td>23</td><td>7</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td></tr>
<tr><td>विंच ड्राइवर</td><td>18</td><td>10</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr>
<tr><td>टी/सिग्नल मैन</td><td>21</td><td>17</td><td>20</td><td>21</td><td>23</td></tr>
<tr><td>मजदूर्स</td><td>22</td><td>12</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr>
</table>

गैर पंजीकृत कर्मकार :
(औसतन नियुक्ति दिनों में)
<table>
<tr><th>वर्ग</th><th colspan="2">वास्तविकता</th><th colspan="3">अनुमान</th></tr>
<tr><th></th><th>2007-08</th><th>2009-10</th><th>2010-11</th><th>2011-12</th><th>2012-13</th></tr>
<tr><td>डब्लू/यूएल मिस्त्री</td><td>23</td><td>13</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr>
<tr><td>आई एंड एस टिंडाल्स</td><td>17</td><td>13</td><td>16</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>आई एंड एस मिस्त्री</td><td>22</td><td>--</td><td>20</td><td>20</td><td>21</td></tr>
<tr><td>जी के मिस्त्री</td><td>22</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr>
<tr><td>डब्लू एस स्वीपर्स मजदूर्स</td><td>24</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr>
<tr><td>नैमित्तिक मजदूर</td><td>--</td><td>7</td><td>13</td><td>13</td><td>14</td></tr>
</table>

विलयनेत्तर परिदृश्य में, यह बताया जाता है कि सी एच डी से</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(च) वी डी एल बी का वी पी टी के साथ विलयन के लिए पृष्ठ सं. 7 में दि.8 सितंबर 2008 के समझौता ज्ञापन की प्रतिलिपि बताता है कि, नैशनल ट्रिब्यूनल एवार्ड के कार्मिक आवश्यकता मापन के अनुसार वर्तमान डैक फोरमैन अनावश्यकवर्ग के हैं, तथा वर्तमान डैक फोरमैन के लिए अदालती मामले का निपटारा होने के बाद विचार करने के लिए निर्णय लिया गया । उक्त अदालती मामलों की वर्तमान स्थिति बताये और यह बतायें कि उक्त मुकदमेबाजी का सी एच डी लेवि के लिए वी पी टी द्वारा फाइल की गयी (टैरिफ) वर्तमान प्रशुल्क निर्धारण प्रस्ताव पर कोई प्रभाव है ।</td>
<td>डैक फोरमैन से संबंधित उपार्जित लागत फिलहाल सहायक श्रम आयुक्त (ए एल सी) (केन्द्रीय) को वापस भेजा गया है और यह अबतक ए एल सी के पास लंबित है । डैक फोरमैन के वर्ग को डैक कार्मिक के रूप में वर्गीकृत करने के कारण, ये डैक फोरमैन को चुकाये गये वेतन स्टिवडोर्स द्वारा वसूल किया जाएगा और इन वेतन पर लागू लेवि कम्पोनेन्ट भी वि पी टी को प्राप्त होगा । फिर भी परिकलन करते समय डैक फोरमैन को दी गयी टाइम-रेट मजदूरी तथा वसूली को शून्य कर दिया जाएगा तथा अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों को, सांविधिक निधि इत्यादि को पूरा करने के लिए केवल लेवि कम्पोनन्ट ही प्रशासन के पास होगा । इस वर्ग के अंतर्गत केवल 16 डैक फोरमैन हैं, इससे वर्तमान प्रशुल्क निर्धारण प्रस्ताव में कोई विशेष प्रभाव नहीं पडेगा ।</td>
</tr>
<tr>
<td>(x)</td>
<td>(क) पीस-रेट बेजेस भुगतान को प्रोत्साहन योजना के अनुरूप बताया गया है । कृपया वर्तमान प्रोत्साहन योजना का विवरण दें जिसके आधार पर वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए समय-दर मजदूरी अनुमानित किया था ।</td>
<td>सी एच डी के डॉक मजदूरों के लिए लागू होने के लिए बनायी गयी प्रोत्साहन योजना की प्रति संलग्न की गयी है । यह योजना शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक मान्य होगी । वर्तमान प्रोत्साहन योजना दि.1.5.2010 से निर्णित किया गया है और प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की गयी लागत विवरणिका में वर्तमान प्रोत्साहन योजना शामिल है ।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(ख) परिशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शन के खण्ड 4.7.3 को सभी महा पत्तनों में नैश्नल वेज सेटल्मेंट के निबंधन में समय समय पर डाटम और पीस-रेट स्कीम की दरों को परिशोधित करना अपेक्षित है । वर्तमान पीस-रेट के</td>
<td>पूर्व पैरा में पहले ही उल्लिखित अनुसार नयी प्रोत्साहन योजना को दि.1.5.2010 से परिशोधित किया गया था जिसमें डॉट्म भी परिशोधित किया गया । 5 वर्षों का आवर्तन, नैशनल वेजसेटल्मेंट के निबंधन में टैम्प के बराबर है, अतः बाद का परिशोधन 5 वर्षों के बाद किया जाएगा । फिर भी भविष्य में होने वाले उत्पादन को</td>
</tr>
</table>

	मामले में पिछली बार डॉट्म कब परिशोधित किया था, कृपया इसकी सूचना दें । विलयन के बाद पीस रेट स्कीम को औचित्य बनाने के लिए वि पी टी द्वारा किये गये उपायों के बारे में बतायें ।	ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के आधार पर डॉट्म को परिशोधित करने की आवश्यकता पड सकती है ।
(xi)	आय :	
	(क) पोर्ट के व्यापारिक योजना की श्रेणी में मजदूरों की नियुक्ति का अनुमान लगाने के लिए मान्यता प्राप्त यातायात और राजस्व का पुष्टिकरण करें । कृपया टाइम-रेट, पीस-रेट तथा लेवि से राजस्व परिकलन के विवरण प्रस्तुत करें ।	यातायात योजनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि डॉक मजदूरों को पूरा रोजगार मिलेगा और तदनुसार राजस्व का परिकलन किया गया है । लागत विवरणिका में संलग्न टाइम-रेट, पीस-रेट तथा लेवि से राजस्व का परिकलन, टैम्प को प्रस्तुत किया गया है ।
	(ख) वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के लिए अनुमानित आय में क्वार्टर्स, स्टाल्स तथा बिल्डिंग्स के किराये से अनुमान के आधार को स्पष्ट करें ।	क्वार्टरों से किराये की आय वर्तमान अभिग्रहण के आधार पर की गयी है और साथ ही दरों का विचार संबंधित वर्गों के लिए लागू दरों के अनुसार किया गया है । स्टाल्स और अन्य बिल्डिंग्स पर किराया आय, संगठन द्वारा फिलहाल प्राप्त मासिक किराया मूल्यों के आधार पर है ।
	(ग) प्रशासन प्रभार डैक फोरमैन, भाडा प्रभार-एस एस वी तथा विद्युत एवं गैस प्रभार एस एस वी अन्य प्राप्तियां विलंब भुगतान पर व्याज, सेवानिवृत्ति प्राप्त कर्मचारियों का चिकित्सा प्रभार, भाडा प्रभार तथा विद्युत एवं गैस प्रभारों से अनुमानित आय की प्रवृत्ति किस आधार पर की गई, इसका वर्णन करें साथ ही स्टिवडोरिंग परिचालन के लिए मजदूरों को नियोजित करने के प्रति लेवि निर्धारित करने के लिए इसकी संबद्धता का वर्णत करें ।	प्रशासन प्रभार से उत्पन्न आय - डैक फोरमैन तथा विलंब भुगतान पर व्याज मजदूरों तथा कार्गो संभलाई परिचालकों से संबंधित है, अतः उसे लेवि निर्धारण प्रयोजन के लिए माना जाएगा । अन्य दरें, एस एस वी, विद्युत तथा एस एस वी पर जैसे लागत प्रभार, सेवानिवृत कर्मचारियों से चिकित्सा प्रभार, भाडा प्रभार तथा विद्युत एवं लागत प्रभारों को भी लेवि निर्धारण के समय में स्वीकार किया जाता है क्योंकि लेवि का प्रतिशत प्रशासनिक प्रभारों को चलाने के लिए हैं जिसमें उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत होने वाले व्यय शामिल है । अतः यह बताया जाता है कि उपर्युक्त शीर्ष पर उत्पन्न आय को स्टिवडोरिंग आपरेशन्स के लिए मजदूरों को नियोजित करने के लिए लेवि निर्धारण में युक्तसंगत होगा, क्योंकि संगठन के सभी प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के साथ साथ मजदूरों के कल्याणकारी उपायों की जिम्मेदारी भी स्टिवडोर्स की है ।
	(घ) पोर्ट ट्रस्ट ने बताया कि वर्तमान लेवि (प्रस्तावित परिशोधन से पूर्व) टाइम-रेट वेजेस का 189% है । इसके विपरीत, वि पो ट्र द्वारा 1.4.2008 से 25 सितंबर 2008 तथा उसके बाद 31 मार्च 2009 अवधि तक टाइम रेट प्रतिशत के संबंध में जुटाई गयी वास्तविक लेवि 87% तथा 123% होता है । बाद के दो वर्ष 2009-10 के लिए यह वास्तविक टाइम रेट वेजेस का 143% है । कृपया 189% पर रिपोर्ट की गयी वर्तमान लेवि के संबंध में विविधता के कारण बतायें और सही स्थिति बतायें ।	उपर्युक्त क्रम सं. (vi) (ख) में उल्लिखित अनुसार 189% लेवि, विविध लेवि का सम्मिश्रण है जिसमें सामान्य लेवि का उपादान (कम्पोनेन्ट) ही आय और व्यय के ब्यौरा में दिखया गया है । बाकी उपादान (कम्पोनेन्ट) विशेष प्रवृत्ति के हैं अतः उन्हें संबंधित लेखा शीर्ष में समायोजित किया गया, अतः 1.4.2008 से 25.9.2008 तथा उसके बाद 31.3.2009 अवधि के लिए लेवि प्रतिशतता में विविधता हुई । प्रारंभ में वेतन पुनरीक्षण बकायों के लिए विशेष लेवि केवल 20% ही स्वीकार किया गया था जो बाद में 39% तक बढ़ा दिया गया, इसके सपोर्ट में मंडल संकल्प की प्रति प्रस्तुत की गयी है । वर्कर्स को पी एल आर भुगतान के लिए संग्रह की गयी 5% लेवि, संबंधित पी एल आर निधि के शीर्ष में दिखाया गया है । अतः इसे आय और व्यय में अंक में नहीं दिया जाएगा । इसी प्रकार से वार्षिक आय और व्यय की कमी को पूरा करने के लिए जुटाई गयी 50% लेवि भी सामान्य आरक्षण निधि में अंतरित किया था और तदनुरूप यह उपादान (कम्पोनेन्ट) भी आय के ब्यौरे में नहीं दिखया गया ।

	(च) स्टिवडोरिंग सर्विसेस का प्रशुल्क निर्धारण करने में को-ऑपरेटिव सोसाइटि के ऋण पर व्याज आमदनी को विचारने की युक्तिसंगत का विवरण दें ।	वि डी एल बी ने कोऑपरेटिव सोसाइटि को ऋण रकम दिया जो वि डी एल बी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए है । डॉक वर्कर्स विनियम तथा रोजगार अधिनियम के तहत योजना के प्रावधान के अनुसार, सोसाइटि सहित डॉक वर्कर्स के कल्याण उपाय, ऋण प्रदान करने द्वारा अथवा अन्यथा डॉक वर्कर्स के लिए बनी विशेष लाभ के लिए तथा मंडल के लाभार्थ, समय समय पर मंडल द्वारा ऋण प्रदान किया गया । अतः इस प्रक्रिया में लागत विवरण में उपादान (कम्पोनेन्ट) शामिल नहीं किया गया है । फिर भी कोऑपरेटिव सोसाइटि के ऋण पर व्याज आय को प्रशुल्क निर्धारण में विचारा गया क्योंकि निधियों को वि डी एल बी के सामान्य आरक्षण निधि से व्यवस्थित किया गया, जो मुख्यतः लेवि उपादान (कम्पोनेन्ट) से संचित किया गया था । जो टाइम-रेट वेजेस का एक विशिष्ट प्रतिशत के अलावा और कुछ नहीं है । अतः इसे आरक्षण निधि पर संचित राजस्व का हिस्से के रूप में माना गया और लागत विवरण में इस कम्पोनेन्ट (उपादान) को शमिल किया गया । वि. पो. ट्र. के साथ वि डी एल बी विलयन होने के बाद सोसाइटि को किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया ।
(xii)	व्यय प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन)	
	(क) वर्ष 2010-11 के लिए रू. 1395.19 लाख पर अनुमानित टाइम-रेट वेज के कारण स्टॉफ तथा अधिकारियों पर वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव पडा है तो कृपया इसकी पुष्टि दें ।	डॉक वर्कर्स के वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव वर्ष 2010-11 के लिए अनुमानित की गयी टाइम दर वेज प्रभाव को मान लिया गया है ।
	(ख) हमारे पत्र सं. टैम्प/27/2005-विविध, दिनांक 18 मई 2010 में सभी महा पत्तनों को वर्ष 2009-10 के लिए डब्लू पी आई में औसतन संचालन के आधार पर सूचित अनुसार, 3.76% का स्वतः वृद्धि घटक (फैक्टर) को वर्ष 2010-11 में निर्धारित की जाने वाली प्रशुल्क मामलों में विचार किया जायेगा । अतः वि. पो. ट्र. द्वारा अनुमान में विचारी गयी वार्षिक स्वतः वृद्धि को उक्त स्तर पर परिवर्तित किया जाये ।	टैम्प के पत्र दि. 18.5.2010 द्वारा यथा सूचित 3.76% स्वतः वृद्धि घटक (फैक्टर), सी एच डी द्वारा टाइम-रेट वेजेस के संबंध में, मजदूरों को भुगतान, स्टॉफ भुगतान तथा सांविधिक निधियों के अंशदान संबंधी व्यय के मामले में लागू नहीं हो सकता । इस संदर्भ में यह बताया जाता है कि, व्यय का बडा हिस्सा केवल लेबर कम्पोनेन्ट (मजदूर घटक) के रूप में होने के कारण लागत विवरणिका तैयार करते समय स्वतः वृद्धि फैक्टर को 5% से 10% रेंज तक माना गया । उपर्युक्त को ध्यान में रखकर सी एच डी के लिए 3.76% स्वतः वृद्धि फैक्टर का लागू होना, को छूट दिया गया है ।
	(ग) प्रस्तावित लेवि, जो संग्रह किया जाना है, वह ऊपरी व्यय के साथ-साथ सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, उपदान, वार्धक्य-निवृत्ति इत्यादि को कवर करने के लिए है । पेंशन निधि/उपदान निधि योगदान के लिए अनुमानित रकम सूचित करें । अनुमोदित करें कि, प्रस्तावित लेवि इन दायिताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ।	वर्ष 2009-10 के लिए पेंशन निधि के लिए रू. 8,52,87,600/- तथा उपदान निधि के प्रति रू. 5,43,04,899/- योगदान अनुमानित किया गया है । पेंशन निधि और अन्य निधियों के लिए मंडल के योगदान में तीव्र वृद्धि, वेतन पुनरीक्षण के कारण स्टॉफ/मजदूर तथा अधिकारियों को मजदूरी/वेतन में वृद्धि होने से हुई । मजदूर एवं स्टॉफ के लिए लगभग 26% वृद्धि है ।

	पेंशन निधि तथा और अन्य निधियों के लिए वर्ष 2008-09 में मंडल का योगदान रू. 565 लाख रिपोर्ट किया गया यानि 1403 लाख है जो वर्ष 2009-10 में बढ़कर लगभग दुगुना हो गया है । भविष्य की अवधि 2010-11 से 2013-14 के लिए वार्षिक रू.1053 लाख से रू. 1048.76 लाख तक अनुमानित किया गया है । वर्ष 2009-10 में इस मद में तीब्र वृद्धि के कारण बतायें, तथा इस संबंध कार्यचालन प्रस्तुत करें । राजस्व के स्त्रोत जहां से मंडल ने उक्त योगदान बनाया था, उसकी सूचना भी दें ।	
	(घ) वेतन बकाया प्रावधान दि.1.1.2007 से फरवरी 2010 के कार्यचालन में विचार किये गये अंक स्पष्ट नहीं है1 । इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुत करें :- ➢ वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए वास्तविक मजदूरी लागत वर्गवार, विधिवत रूप से कुल वेतन लागत को तत्संबंधित वार्षिक लेखा में रिपोर्ट किये गये अंकों के साथ मिलान करते हुए आंकडे । ➢ कार्यचालन के साथ-साथ वास्तविक वेतन लागत के आधार के संबंध में वर्षवार वेतन पुनरीक्षण प्रभाव का परिकलन । ➢ वर्ष 2007-08 से 2009-10 में वेतन पुनरीक्षण के लिए किया गया प्रावधान । ➢ प्रशुल्क मार्गदर्शन को खण्ड 2.5.2 जिसमें यह विर्निदिष्ट किया गया, कि एक बारी व्यय (वन टाइम एक्सपेन्डीचर) जैसेकि वेतन का बकाया और पेंशन, वी आर एस प्रतिपूर्ति आदि को प्रशुल्क निर्धारित करते समय स्वीकार्य लागत के रूप में शामिल नहीं किया गया था । वि.पो.ट्र. ने वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिए "वेतन पुनरीक्षण अधिकारी, स्टॉफ एवं मजदूर" नामक शीर्षक के अंतर्गत एक अलग लागत अनुमानित किया था । कृपया स्पष्ट करें कि क्या यह अनुमान वेतन बकाया के लिए था । यदि हॉ, तो यह प्रशुल्क मार्गदर्शन के खण्ड 2.5.2 की पद्धति में नहीं है और प्रशुल्क निर्धारण प्रक्रिया में गठित नहीं किया सकता है ।	खण्ड 2.5.2 में निहित प्रावधान के अनुसार अधिकारी, स्टॉफ एवं मजदूरों को वेतन पुनरीक्षण के लिए एकबारी व्यय (वन-टाइम एक्सपेन्डीचर) को हटा दिये गये हैं और परिशोधित लागत विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

	(च) प्रशुल्क मार्गदर्शन के खण्ड 2.5.2 के अनुसार प्रशुल्क निर्धारित करते समय वी आर एस लाभ को लागत मद के रूप में लागत विवरण में शामिल नहीं किया गया, इसलिए संभवत: हटा दिया गया ।	
(xiii)	**नियाजित पूँजी :**	
	(क) सी एच डी के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र-4ए के अनुसार नियोजित पूँजी का विस्तृत कार्यचालन प्रस्तुत करें ।	सी एच डी के लिए नियोजित पूँजी का विस्तृत कार्यचालन प्रस्तुंत किया गया है ।
	(ख) परिसंपत्तियों को व्यापार परिसंपत्ति और व्यापार से संबंधित परिसंपत्ति के रूप में पृथक्करण करने का आधार सूचित करें और पुष्टि करें कि यह टैरिफ मार्गदर्शन की खंड 2.9.7 के अनुसार है ?	परिसंपत्तियों को व्यापार परिसंपत्ति और व्यापार से संबंधित परिसंपत्ति के रूप में पृथक्करण टैरिफ मार्गदर्शन की खंड 2.9.7 के अनुसार ही किया गया है ।
(xiv)	कृपया सूचित करें कि वर्तमान सैटअप में कोई अधिशेष श्रमिक हैं और क्या उस प्रकार की अधिशेष श्रमिकों के लिए हुई व्यय लागत सारणी में शामिल किया गया ?	सी एच डी ने कार्य की दृष्टि से देखने पर कम हो रही श्रमिक शक्ति पर ध्यान रखते हुए 313 कर्मकारों को कैजुअल कर्मकार के रूप में विचार किया । यह भी सूचित किया जाता है कि इन 313 कैजुअल कर्मकारों को जोडने पर भी जब कभी आवश्यक पडती है तो बाहर से प्राईवेट कर्मकारों को लेने के लिस स्टीवडोरों को अनुमति दी गई है ।
(xv)	वि पो ट्र को यह पुष्टी किया जाए कि किसी भी कॉस्ट इलिमेंट में या सामान्य पुनरीक्षण प्रस्ताव में प्राक्कलित पूंजी नियोजन में और सी एच एल डी के लिए प्रस्तु लागत सारणी में कोई ओवरलेपिंग नहीं है ।	यह पुष्टी किया जाता है कि किसी भी कॉस्ट इलिमेंट में या सामान्य पुनरीक्षण प्रस्ताव में प्राक्कलित पूंजी नियोजन में और सी एच एल डी के लिए प्रस्तुत लागत सारणी में कोई ओवरलेपिंग नहीं है । इस संबंध में सी एच डी से संबंधित कांपोनेंट्स को हटाते हुए एक वर्क शीट प्रस्तुत किया जाता है ।

6.2 वि पो ट्र द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2008-09 और 2009-2010 से संबंधित कार्गो संभलाई प्रभाग की संशोधित लागत सारणी का संक्षिप्त विवरण और वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक प्राक्कलन निम्नानुसार है :

(रूपये लाखों में)

क्र.सं	विवरण	वास्तव		वर्तमान टैरिफ के अनुसार प्राक्कलन			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
(i)	कुल आय	4424.62	3173.10	4529.38	4492.21	4628.99	4778.22
(ii)	व्यय (आर ओ सी ई के अलावा)	5172.36	5594.06	5745.22	5745.21	5968.09	6148.86
(iii)	पूंजी नियोजन	प्रस्तुत नहीं किया	209.03	185.99	163.86	141.73	119.61
(iv)	आर ओ सी ई :						
	व्यापार परिसंपत्तियों पर 16%	--	10.31	9.04	7.91	6.77	5.65
	व्यापार से संबंधित परिसंपत्तियों पर 6.35%	--	9.18	8.22	7.27	6.31	5.35
(v)	कुल व्यय + (आर ओ सी ई) (ii+iv)	5172.36	5613.55	5762.48	5760.69	5981.17	6159.86
(vi)	आय से अधिक व्यय (I-v)	(748.10)	(2440.45)	(1233.10)	(1268.48)	(1352.18)	(1381.64)

7.1 दि.2 नवंबर 2010 को विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट में इस मामले पर संयुक्त सुनवाई हुई । वि पो ट्र ने इसकी प्रस्ताव पर एक पावर प्वाईंट प्रजेंटेशन दिया । इस संयुक्त सुनवाई में वि पो ट्र एवं संबंधित उपभोक्ता / संगठन निकाय ने उनकी प्रस्तुति दिए हैं ।

7.2 संयुक्त सुनवाई में लिया गया निर्णय के अनुसार वि पो ट्र को निम्न लिखित प्वाईंटों पर अपना उत्तर देने के लिए सुझाव दिया गया :

(i) पिछली अवधि तथा अगले तीन वर्षों के लिए प्रशासनिक व्यय का विस्तृत ब्रेक-अप विचाराधीन है ।

(ii) इस कार्यकलाप से संबंधित पिछले अवधि की हानि क्या है और वर्तमान टैरिफ में उस प्रकार की पिछली हानि को समायोजित करने के लिए की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण दें । पोर्ट को समीक्षा करना होगा कि किस अवधि के अंदर इस प्रकार की पिछली हानि को पुनःवसूल करने का प्रस्ताव है ।

(iii) संयुक्त सुनवाई के दौरान एक यूजर एसोसियेशन ने बताया कि पोर्ट ने प्रस्तावित लेवी को पहले ही 350% से 300% तक कम किया । पोर्ट की वर्तमान वित्तीय स्थिति के संदर्भ में लेवी के प्रस्तावित प्रतिशत पर समीक्षा की जाए ।

7.3 संयुक्त सुनवाई में चर्चा किए गए प्वाईटों के संदर्भ में वि पो ट्र ने अपना उत्तर दि.18 नवंबर 2010 को दिया । वि पो ट्र द्वारा प्रस्तुत प्रमुख प्वाईंटों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

(i) पिछली अवधि तथा अगले तीन वर्षों के लिए प्रशासनिक व्यय का विस्तृत ब्रेक-अप सारणी सहित एक सारणी प्रस्तुत की गई है । वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 की तुलना में वर्ष 2009-10 व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण दि.1.1.2007 से श्रेणी-1 एवं 2 अधिकारी तथा ग्रूप सी एवं डी कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान के अनुपालन से हुई और बकाया वर्ष 2010-11 के दौरान चुकाया गया । शीर्ष "स्वास्थ्य" के अंतर्गत व्यय में वद्धि का मुख्य कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों (लगभग 3000 पेंशनर्स) को और परिवार पेंशनर्स को रेशनलाईजड चिकित्सा सुविधा विस्तार करना था , जिस में इन हाऊस इलाज करने की वर्तमान पद्धति से हटकर रिफरल मामलों को बाहरी अस्पतालों में भेजना भी शामिल है । श्रेणी-1 अधिकारियों के कैडर रीस्ट्रक्चरिंग के अनुपालन के परिणाम रूप में वार्षिक वेतनवृद्धि के अलावा वेतन में वृद्धि को वर्ष से वर्ष के आधार पर विचार करने से हुई ।

(ii) पहले वी डी एल बी को एक कार्यकलाप होता था अर्थात मैन्युअल कार्गो संभलाई परिचालन । दि.31.3.2009 तक गणन की गयी पिछली अवधि की हानि ₹.22.57 करोड थी और दि.31.3.2010 तक संचित शुद्ध हानि ₹.55.40 करोड थी । पूर्व हानि को समायोजित करने के लिए वर्तमान सी एच डी ने वर्तमान टैरिफ को दि.1.4.2010 से तीन महीने की अवधि के लिए 189% से 250% तक, और दि.1.7.2010 से 31.12.2010 तक 300% की दर पर और दि.1.1.2011 से 350% की दर पर बढाने का प्रस्ताव किया । इन प्रतिशत पर विचार करते हुए और दि.1.1.2011 से 350% लेवी जारी रखने के कारण वार्षिक हानि घाटा दि.1.4. 2010 से 5 वर्षों मे समायोजित करने का अनुमान है ।

(iii) संयुक्त सुनवाई में पहले ही बताए गए अनुसार बढाया गया लेवी 350% से 300% तक कम करने के लिए व्यापारियों के अनुरोध पर विचार करते हुए 300% की दर पर संशोधित लागत लेवी सारणी गणन किया गया और संशोधित लागत सारणी प्रस्तुत किया गया । 300% की दर पर प्रतिशत को मानते हुए पिछली हानि दि.1.4.2010 से 7 से 8 वर्षो में समायोजित करने के लिए प्रत्याशित है । लेवी के रूप में 189%,250%, 300% एवं 350% के साथ आय और व्यय की तुलनात्मक सारणी प्रस्तुत है । वर्ष 2010-11 में दि.1.4.010 को कर्मकारों की संख्या 958 थी जबकि वी आर एस का अनुपालन के कारण दि.1.8.2010 को संख्या 873 तक कम हुई । तदनुसार टाईम रेट मजदूर का एवं लेवी आय का गणन किया गया ।

(iv) संशोधित लागत सारणी का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं	विवरण	वास्तव		वर्तमान टैरिफ के अनुसार प्राक्कलन			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
	लेवी %			250% 300%	300%	300%	300%
(i)	कुल आय (लेवी आय सहित)	4424.26	3089.69	8624.30	8026.82	8644.42	9326.06
(ii)	व्यय (आर ओ सी ई के अलावा)	5172.36	7263.72	7811.75	7488.61	7932.30	8494.46
(iii)	पूंजी नियोजन	--	--	152.91	100.40	49.94	0.18
(iv)	आर ओ सी ई :						
	व्यापार परिसंपत्तियों पर 16%	--	--	6.89	4.43	2.22	0.01
	व्यापार से संबंधित परिसंपत्तियों पर 6.35%	--	--	6.97	4.61	2.29	0.01
(v)	कुल व्यय + आर ओ सी ई (ii+iv)	5172.36	7263.72	7825.61	7497.65	7936.81	8494.48
(vi)	आय से अधिक व्यय (i-v)	(748.10)	(4174.03)	--	--	--	--
(vii)	व्यय से अधिक आय (i-v)	--	--	798.69	529.17	707.61	831.58
(viii)	पूर्व अवधि की हानी को समायोजित करने बाद घाटा / अधिशेष	(2257.29)	(5540.00)	(4741.31)	(4212.14)	(3504.53)	(2672.95)

उपर्युक्त मद सं.2 एवं 3 द्वारा प्रस्तुत सूचना से पूर्वावधि की हानि को समायोजित करने के लिए अवधि को कम करने के लिए टैंप को दि.1.1.2011 से उपर्युक्त हानि समायोजित होने तक 350% लेवी के प्रतिशत पर विचार किया जाए, जिस के लिए व्यापारी लोगों ने पहले ही सहमति दी थें और बाद में उचित रूप से लेवी का प्रतिशत पर समीक्षा की जाए ।

8 संयुक्त सुनवाई के बाद विशाखपट्टणम स्टीवडोर्स एसोसियेशन (वि एस ए) ने पत्र सं.दि.10 नवंबर 2010 द्वारा प्रस्ताव पर लिखित निवेदन फाईल किया । वि एस ए द्वारा प्रस्तुत निवेदन टिप्पणी हेतु वि पो ट्र को अग्रेषित किया गया । वि पो ट्र ने वि एस ए द्वारा प्रस्तुत निवेदन का उत्तर दिया ।

9.1 वि पो ट्र के उनके पत्र दि.22 अक्तूबर 2010 एवं 18 नवंबर 2010 द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर जांच करने के बाद दि.14 दिसंबर 2010 को वि पो ट्र से ई-मेईल द्वारा और सूचना प्राप्त किया गया । हमारे द्वारा उठाये गए सवाल और वि पो ट्र द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण नीचे की सारणी में दिया गया :

क्र.सं	हमारे द्वारा उठाये गये प्रश्न	वि पो ट्र द्वारा प्रस्तुत उत्तर
(i)	अनुलग्नक-23 में प्रस्तुत टाईम दर मजदूरी का कंप्यूटेशन दि.18 नवंबर 2010 को ई-मेल द्वारा फाईल किया गया संशोधित लागत सारणी के टाईम दर मजदूरी से नहीं मिल रहा है ।	अनुलग्नक-23 में प्रस्तुत टाईम दर मजदूरी का कंप्यूटेशन प्री-रिवाईजड वेतनमान के आधार पर किया गया जबकि दि.18 नवंबर 2010 को ई-मेल द्वारा भेजा गया डॉटा का कंप्यूटेशन संशोधित वेतनमान के आधार पर किया गया । अत: भिन्नता एवं दि.18 नवंबर 2010 को ई-मेल द्वारा भेजी गई सूचना को ही मान लिया जाए ।
(ii)	विविध प्राप्तियों की पद्धति - वर्ष 2010-11 के दौरान रू.180.00 लाख तक अनुमानित टाईम दर मजदूरों की भिन्नता पर स्पष्टीकरण दिया जाए ।	फिलहाल लागू पद्धति के अनुसार टाईम दर मजदूरी नियोजित उस वर्ग के कर्मकार का अधिकतक मजदूरी दर के आधार पर वसूल किया जाता है, लेकिन कर्मकारों को वास्तव के आधार पर भुगतान किया जा रहा है । वसूल किया गया टी आर मजदूरी एवं वास्तविक भुगतान के बीच में यदि कुछ भिन्नता है तो टी आर मजदूरी की भिन्नता शीर्ष के तहत विविध प्राप्तियों के रूप वर्गीकृत किया जाता है ।
(iii)	कर्मकारों को भुगतान शीर्ष के अंतर्गत व्यय में वर्ष 2008-09 की रू.967.52 लाख की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान रू.1975.76 तक असाधारण वृद्धि हुई । वर्ष 2009-10 के दौरान इस व्यय में असाधारण वृद्धि के कारण - जो भविष्य के प्राक्कलन केलिए आधार बन जाता है - विशेषत: उस तथ्य की दृष्टि से स्पष्ट करें कि पोर्ट ने कहीं स्पष्टीकरण दिया कि वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव 26% रहा ।	कर्मकारों को भुगतान शीर्ष के अंतर्गत व्यय में भिन्नता का मुख्य कारण वेतन पुनरीक्षण का अनुपालन पूर्वव्यापी प्रभाव से अर्थात दि.1.1.2007 से करने से हुई । वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान कर्मकारों को चुकाया गया रकम क्रमश: रू.452.35 लाख तथा 517.61 लाख शामिल है और वर्ष 2009-10 के दौरान वेज बोर्ड एरियर्स-वर्कर्स शीर्ष के अंतर्गत व्यवस्थित रू.966.83 लाख अलग से दिखाया गया । वेतन पुनरीक्षण, कर्मकार, कर्मचारी एवं अधिकारी को बकाया के प्रावधान के लिए दि.31.3.2010 को अन्य दायित्व के अंतर्गत कुल या2109.36 लाख दिखाया गया, जिस में कर्मकारों के लिए व्यवस्थित रू.1936.79 लाख शामिल है ।

<table>
<tr><td>(iv)</td><td>स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि के बारे में वि पो ट्र ने अपना ई-मेल दि.18 नवंबर 2010 को स्पष्ट किया कि शीर्ष “स्वास्थ्य” के अंतर्गत व्यय में वद्धि का मुख्य कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को और परिवार पेंशनर्स को रेशनलाईजड चिकित्सा सुविधा विस्तार करना था , जिस में इन हाऊस इलाज करने की वर्तमान पद्धति से हटकर रिफरल मामलों को बाहरी अस्पतालों में भेजना भी शामिल है । यदि ऐसा है तो स्पष्टीकरण दें कि इन हाऊस स्वास्थ्य एवं अस्पताल पर खर्च किए जाने वाले रकम उस सीमा तक समायोजित किया गया क्या ?</td><td>चिकित्सा सुविधाओं का रेशनलाईजेशन के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को और परिवार पेंशनर्स को इन-हाऊस इलाज के अलावा बाहर के अस्पतालों में रिफर कर सकते हैं । अत: इस शीर्ष के अंतर्गत वृद्धि हुई ।</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>पोर्ट ने स्पस्टीकरण दिया कि पहले वसूल किया गया 189% लेवी से 50% वार्षिक आय और व्यय में घाटा को पूरा करने के लिए सामान्य आरक्षण निधि में स्थानांतरित किया गया । कृपया दिखायें कि सामान्य आरक्षण निधि में स्थानांतरित 50% लेवी आय घाटा को कैसे पूरा किया ।</td><td>हानि को समायोजित करने हेतु एक लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए पूर्व वी डी एल बी द्वारा पास किया गया मंडल की संकल्प संख्या 17/2007 के आधार पर 50% कह दर पर अतिरिक्त लेवी वसूल किया जा रहा है । तदनुसार संचित हानि को पूरा करने के लिए लेवी आरक्षण निधि में स्थानांतरित किया गया, परिणाम रूप में इसका प्रभाव सामान्य आरक्षण निधि लेखा में पडा । विवरण निम्नानुसार है :
रूपये लाखों में
<table>
<tr><th></th><th></th><th>2008-09</th><th>2009-10</th></tr>
<tr><td>(क)</td><td>संचित हानि का आदि शेष</td><td>228807508</td><td>225729197</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>चालू वर्ष की हानि</td><td>82684988</td><td>417402808</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>घटाईए : अतिरिक्त लेवी से प्राप्तियां</td><td>85763299</td><td>89131783</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>संचित हानि का अंत शेष</td><td>225729197</td><td>554000222</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>वर्ष 2009-10 के लिए विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट (यातायात विभाग) के अंतर्गत काम कर रहे कार्गो संभलाई प्रभाग का लेखापरीक्षा की गई आय एवं व्यय तथा वर्ष 2010-11 के लिए अक्तूबर 2010 तक वास्तव प्रस्तुत करें</td><td>वर्ष 2009-10 के लिए लेखापरीक्षा की गई आय एवं व्यय तथा वर्ष 2010-11 में अक्तूबर 2010 तक वास्तव प्रस्तुत किया गया है । वर्ष 2010-11 के लिए संशोधित प्राक्कलन अगस्त 2010 तक अर्थात 5 महीने के आधार पर है और सितंबर 2010 से मार्च 2011 तक प्राक्कलन भी प्रस्तुत किया गया जो 5% ब्याज सहित 5 महीने के वास्तव पर वश्वास रखते हुए 7 महीने के लिए प्रोरेटा के आधार पर गणन किया गया ।</td></tr>
</table>

(vii)	स्पष्टीकरण दें कि लेवी से आय का अनुमान कैसे किया गया । इस संबंध में वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक विस्तृत कार्यचालन प्रस्तुत करें । पुष्टी करें कि क्या कार्गो संभलाई के लिए नियोजित कर्मकारों को चुकाए जाने वाले वास्तविक समय दर मजदूरी पर लेवी से आय का प्राक्कलन किया गया ?	कार्गो संभलाई के लिए नियोजित कर्मकारों से वसूल किया गया वास्तविक समय दर मजदूरी की आय का प्राक्कलन किया गया । वर्ष 2010-11 के लिए अक्तूबर 2010 तक खर्च किया गया वास्तविक समय दर मजदूरी प्राक्कलन किया गया और बाकी 5 महीने के लिए महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतनवृद्धि आदि को दृष्टि में रखते हुए 3% की वृद्धि दिखायी गयी । लेवी को मंडल के संकल्प के अनुसार विभिन्न प्रतिशतों में अर्थात समय दर मजदूरी के 189% से 350% तक कंप्यूट किया गया । उदाहरण के रूप में टी आर वेज एवं लेवी 300% की दर पर प्रस्तुत किया गया ।

9.2 पोर्ट ने संशोधित लागत सारणी प्रस्तुत किया, जिस में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक भिन्न समय दर मजदूरी का प्राक्कलन किया गया जो पहले पोर्ट द्वारा नहीं माना गया । वि पो ट्र द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2008-09 से 09-10 तक कार्गो संभलाई प्रभाग की अंतिम संशोधित लागत सारणी का सारांश और वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक प्राक्कलन नीचे दिया गया है :

(रूपये लाखों में)

क्र.सं	विवरण	वास्तव		वर्तमान टैरिफ के अनुसार प्राक्कलन			
		2008-09	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
	लेवी %			250% & 300%	300%	300%	300%
(i)	कुल आय	4424.26	3089.69	8624.30	8086.82	8684.42	9356.06
(ii)	व्यय (आर ओ सी ई के अलावा)	5251.11	7263.72	7811.75	7488.61	7932.30	8494.46
(iii)	पूंजी नियोजन	प्रस्तुत नहीं किया गया	प्रस्तुत नहीं किया गया	152.91	100.40	49.94	0.18
(iv)	आर ओ सी ई :	प्रस्तुत नहीं किया गया	प्रस्तुत नहीं किया गया	13.86	9.04	4.51	0.02
(v)	कुल व्यय + आर ओ सी ई (ii+iv)	5251.11	7263.72	7825.61	7497.65	7936.81	8494.48
(vi)	आय से अधिक व्यय (-) एवं व्यय से अधिक आय (+) (i-v)	(826.85)	(4174.03)	798.60	589.17	747.61	861.58
(vii)	पूर्व अवधि की हानी को समायोजित करने बाद घाटा / अधिशेष	(2257.29)	(5540.00)	(4741.31)	(4152.14)	(3404.53)	(2542.95)

10. तत्पश्चात वि पो ट्र ने दि.28 दिसंबर 2010, 30 दिसंबर 2010, 4 जनवरी 2011 तथा 7 जनवरी 2011 को आगे की सूचना / स्पष्टीकरण भेजा जो नीचे दिया गया है :

(i) वर्ष 2010-11 के लिए वास्तव के आधार पर अक्तूबर 2010 तक समय दर मजदूरी का प्राक्कलन का कार्यचालन तथ्ा लेवी प्रस्तुत किया ।

(ii) वर्ष 2011-11 के दौरान रू.87 लाख के लिए प्राक्कलित पिछले वर्ष से संबंधित मदों का ब्रेकअप प्रस्तुत किया । वि पो ट्र द्वारा प्रस्तुत करने का ब्रेकअप के अनुसार वेतन पुनरीक्षण बकायों से संबंधित रू.52 लाख पिछले वर्ष से संबंधित है ।

(iii) पोर्ट ने स्प्ष्टीकरण दिया कि वर्ष 2009-10 के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया ग्रूप लेवी एनकैशमेंट योजना के वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान ग्रूप लेवी एनकैशमेंट योजना में रू.4.47 करोड प्रभार्य किया गया ।

(iv) (क) पोर्ट ने वर्ष 2009-10 के दौरान पेंशन निधि में रू.15.19 करोड अंशदान का ब्रेकअप भी प्रस्तुत किया, जो निम्नानुसार है :

अधिकारी, कर्मचारी, कर्मकार एवं पेंशनरों के लिए पेंशन निधि में अंशदान	85287000
पेंशनरों के लिए वेजबोर्ड प्रावधान	66700000
कुल	151987600

(ख) पोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया कि पेंशन अंशदान में वृद्धि का कारण संशोधित वेतनमान, डी ए में आवधिक वृद्धि आदि के परिणाम रूप में संशोधित वास्तविक मूल्यांकन से है । संशोधित पेंशन बकाया केवल जनवरी 2010 में प्राप्त होने के कारण वर्ष 2010-11 के दौरान पेंशनरों को वेतन पुनरीक्षण के आऊटकम के आधार पर पेंशन बकाया भुगतान करने के लिए प्रावधान किया गया ।

(ग) पेंशन निधि में अंशदान - वास्तविक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर कर्मकारों को मिलने वाले मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 27% तक किया गया । वर्ष 2009-10 के लिए पेंशन में 27% अंशदान करते समय कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते प्रति कर्मचारी को एक लाख रूपये तक सीमित किया गया । अत: कम प्रावधान किया गया । वर्ष 2010-11 के दौरान सी एच डी के कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर 27% अंशदान किया गया, ऐसे करने के बाद कुल रकम रू.1,00,000/ से ज्यादा होता तो तब इसे प्रति कर्मचारी को एक लाख रूपये तक सीमित किया गया ।

(घ) एक्चूरियल एल आई सी द्वारा किया गया एक्चूरियल मूल्यांकन के अनुसार दि.1 अप्रैल 2010 को अनुमानित पेंशन निधि रू.320 करोड था । पोर्ट ने एक्चूरियल मूल्यांकन को एक्चूरियल रिपोर्ट की प्रति के साथ प्रमाणित किया । पोर्ट ने बताया कि दि.1 अप्रैल 2010 को पेंशन निधि का शेष रू.158.20 करोड था, अत: पेंशन निधि में कमी रू.162 करोड रहा ।

11. इस मामले के परामर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है । संबंधित पार्टियों द्वारा प्राप्त टिप्पणी और की गई चर्चा के उद्धरण संबंधित पार्टियों को अलग से भेजा जाएगा । ये विवरण हमारे वेबसाईट http:tariffauthority.gov.in. में भी उपलब्ध किया जाएगा ।

12. इस प्रकरण की प्रक्रिया के दौरान एकत्रित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

(i) भूतपूर्व विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड (वीडीएलबी) का 26 सितम्बर 2008 से विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) में विलय हो गया है । विलय से पहले, वीडीएलबी से श्रमिकों को तैनात करने के लिए लेवी का निर्णय डॉक लेबर बोर्ड द्वारा किया जाता था । वीडीएलबी के साथ वीपीटी के विलय के साथ वीपीटी के अन्तर्गत कार्गो प्रहस्तन संभाग / कार्गो हैंडलिंग डिविज़न (सीएचडी) नामक एक अलग संभाग कार्गो प्रहस्तन प्रयोजनों के लिए श्रमिकों की नियुक्ति के कार्य की देखरेख करता है और इसलिए, इसके लिए लगाए जाने वाले प्रभार इस प्राधिकरण के नियामक कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं ।

(ii) वीपीटी और वीडीएलबी के बीच निष्पादत समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार पत्तन ने, विलयोत्तर परिदृश्य में, तात्कालिक प्रचलित लेवी का 189%, 31 मार्च 2010 तक जारी रखा । पत्तन का तात्कालिक प्रस्ताव, समय दर मजदूरी की (तात्कालिक रू प से) प्रचलित लेवी 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 तक तीन माह के लिए 189% से 250% और 1 जुलाई 2010 तथा उसके बाद 350% बढ़ाने के लिए है ।

पत्तन ने औचित्य बताते हुए कहा है कि तात्कालिक 189% की लेवी, जो विलय से पहले एकत्रित की जाती थी, प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है । लेवी में प्रस्तावित वृद्धि का एकमात्र उद्देश्य / लक्ष्य सीएचडी के प्रशासनिक एवं कल्याण संबंधी खर्चों की पूर्ति करना, पाँच वर्ष की अवधि में बीते समय की रू. 55.40 करोड़ की हानि की भरपाई / वसूली करना और पेंशन निधि देनदारियों में कमी को पूरा करना है । पत्तन ने जोर देकर कहा है कि लेवी में प्रस्तावित का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है । व्यापार जगत से हुई चर्चा और उनकी सहमति के आधार पर पत्तन ने लेवी में प्रस्तावित वृद्धि 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दी है । यद्यपि पत्तन का प्रस्ताव था कि लेवी को टाइम रेट वेजेज़ का 350% बढ़ा दिया जाए किन्तु व्यापार-जगत के अनुरोध पर यह इस समय टाइम रेट वेजेज़ के 300% पर वसूल किया जा रहा है जैसा पत्तन द्वारा सूचित किया गया है । कुछ उपयोगकर्त्ताओं / उपयोगकर्त्ता संगठनों ने इसकी पुष्टि भी कर दी है ।

(iii) प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 4.7.2, स्टीवेडरिंग गतिविधि के लिए, जब स्टीवेडरिंग प्रचालन पत्तन द्वारा एक अलग गतिविधि के रू प में लिया जाए, प्रति टन आधार पर लेवी प्रदान करने की सिफारिश करती है । जहाँ केवल ऑन - बोर्ड श्रमिक प्रदान किए जाते हैं वहाँ मार्गदर्शी वास्तविक मजदूरी पर प्रतिशतता आधारित लेवी की अनुमति प्रदान करते हैं। वीपीटी में पत्तन की भूमिका श्रमिकों की आपूर्ति करने तक सीमित है। वीपीटी ने बताया है कि पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र सं.एलबी-13018/4/05-L-II, दिनांक 24 जून 2009 के माध्यम से एक नई स्टीवेडोरिंग नीति तैयार की है जिसमें उसने सभी पत्तन न्यासों को निर्देश दिया है कि वे स्टीवेडोरिंग की गणना, श्रमिकों की मजदूरी की गणना प्रतिशतता की बजाय टनेज आधार पर की जाए। सरकार के निर्देशों का अनुपालन न करने के जब कारण मांगे गए तो वीपीटी ने स्पष्ट किया कि जब पत्तन ने प्रतिटन दर प्रदान किए जाने का आग्रह किया तो व्यापार-जगत और स्टीवेडोरिंग ने सीएचडी प्रतिटन मजदूरों के लिए प्रति टन लेवी पर आपत्ति व्यक्त की है और अनुरोध किया है कि प्रतिशतता आधार पर लेवी की वसूली की प्रचलित प्रणाली कुछ और समय जारी रखी जाए। वीपीटी के न्यासी मंडल ने अपने पिछले रू ख पर पुनर्विचार किया और

प्रतिशतता आधारित लेवी जारी रखने को अनुमोदन प्रदान किया। यह नोट करने योग्य है कि 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शी वास्तविक मजदूरी पर प्रतिशतता आधारित लेवी प्रदान किए जाने की ही अनुमति देते हैं, जहां सेवा केवल श्रमिकों की आपूर्ति के लिए हो। वर्तमान मामले में भी स्थिति यही है। इसको देखते हुए, और वास्तविक मजदूरी की प्रतिशतता पर लेवी की प्रचलित विधि को जारी रखने के वीपीटी के प्रस्ताव को मान्य करना व्यापार-जगत द्वारा किए गए अनुरोध से आता है जिसकी 18 मार्च 2010 को हुई बैठक के कार्यवृत की प्रति से पुष्टि होती है। इस बैठक में विशाखापत्तनम् स्टीवेडर्स एसोसिएशन (वीएसए) समेत प्रासंगिक व्यापारिक सदस्यों ने भाग लिया था। टाइमरेट वेजेज़ / समय दर मजदूरी पर प्रतिशतता आधारित लेवी के लिए वीपीटी का प्रस्ताव वर्तमान चक्र के लिए स्वीकार किया जाता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि श्रमिकों की उत्पादकता से जुड़ी प्रतिटन दर बेहतर निष्पादनता प्राप्त करने हेतु स्टीवेडर्स के लिए प्रोत्साहन के रू प में काम करेगी और कथित प्रक्रिया (दृष्टिकोण) एक ही श्रमिक समूह / दल के अनेक हिसाब-किताबों (लेखा) की संभावना को अग्रिम रू प से समाप्त कर देगा। इस नजरिए से देखने पर और, स्टीवेडरिंग गतिविधि के लिए प्रतिटन लेवी प्रदान करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय से प्राप्त विशिष्ट निदेश को देखते हुए पत्तन को अगली समीक्षा / सीएचडी गतिविधि के संशोधन के समय टन /टनभार आधारित लेवी तैयार करने की सलाह दी जाती है।

(iv) यद्यपि वीडीएलबी का वीपीटी के साथ विलय हो गया है, समझौता ज्ञापन के अनुसार सीएचडी के लिए खाते (लेखा) अलग ही बनाए रखे गए। विलय से पहले अर्थात 25 सितंबर 2008 तक) वर्ष 2008-09 के वास्तविकों के आधार पर सीएचडी गतिविधि के लिए वीपीटी ने लागत विवरणी प्रस्तुत कर दी है। इसने विलय के बाद की अर्थात 26 सितंबर 2008 से और वर्ष 2009-10 की वास्तविक लागत स्थिति और वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए अनुमानित स्थिति प्रस्तुत कर दी है। हमारे अनुरोध पर, पत्तन ने बाद में वर्ष 2010-11 के लिए अक्तूबर 2010 तक सीएचडी गतिविधि के लिए वास्तविक प्रस्तुत किए हैं। प्रकरण की तैयारी के दौरान प्रस्तुत सूचना / स्पष्टीकरण के साथ वीपीटी द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2010 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तुत फाइनल संशोधित लागत विवरणी में दाखिल किए गए अनुमानों पर इस विश्लेषण में विचार किया गया है।

(v) सीएचडी गतिविधि में 31 मार्च 2010 तक कुल जमा हानि (घाटा) रू. 55.40 करोड़ बताया गया है। पत्तन का प्रस्ताव है कि वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक प्रत्येक वर्ष के लिए सीएचडी गतिविधि पर होने वाले कुल खर्च तथा उस पर प्रतिलाभ की वसूली की जाए और 31 मार्च 2010 तक विगत अवधि के लिए आकलित रू. 55.40 करोड़ की कुल जमा हानि में से पिछली अवधि की कुल हानि रू. 29.97 करोड़ की भरपाई कर ले। विगत अवधि की रू.25.43 करोड़ की शेष हानि (घाटा) को अगले प्रशुल्क चक्र में समायोजित करने का प्रस्ताव है।

यह ध्यान देने योग्य है कि वीएसए समेत उपयोगकर्त्ताओं / उपयोगकर्त्ता संगठनों ने, सीएचडी गतिविधि में विगत हानियों की भरपाई (समायोजन) के लिए वीपीटी के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रू प से कोई बिन्दुवार आपत्ति व्यक्त नहीं की है। केवल एक सुझाव दिया है कि सामान्य लेवी के साथ जोड़ने की बजाए, विगत अवधि हानि को पूरा करने के लिए एक सीमित अवधि के लिए एक अलग विशेष लेवी प्रदान कर दी जाए। किन्तु, बीएसए की मांग थी कि ऐसी विशेष लेवी सीधे-सीधे आयातकों / निर्यातकों से वसूल की जानी चाहिए। जैसाकि यह लेवी उन स्टीवेडरों से

वसूल की जाती है जो कार्गो प्रहस्तन श्रमिकों की सेवाएं स्टीवेडोरिंग प्राप्त करते हैं, यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस प्रशुल्क बोझ को किसी अन्य उपयोगकर्त्ता समूह पर डालने का कोई औचित्य भी नज़र नहीं आता है।

वीपीटी द्वारा एक समेकित लेवी प्रस्तावित के लिए जो विगत घाटों (हानियों) की पूर्ति के लिए निधि उपलब्ध करवाएगा, अपनाया गया दृष्टिकोण (तरीका) अधिक सारगर्भित नज़र नहीं आता है क्योंकि इसमें न केवल पिछली हानि आगामी वर्षों में भी जाएगी, बल्कि इससे यह भी सुनिश्चित नहीं होता है कि इस विनिर्दिष्ट वसूली से पिछली हानियां समायोजित हो भी, पाएंगी या नहीं। ऐसी स्थिति में, टाइम-रेट-वेज की एक प्रतिशतता के रू प में एक अलग लेवी, विगत अवधि हानि को पूरा करने के लिए एक सीमित अवधि के लिए परिगणित की गई है। इस प्रकार, जैसा कि कुछ उपयोगकर्त्ता एसोसिएशनों द्वारा समझा गया है, विगत अवधि हानि का बुनियादी लेवी के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं होगा और साथ ही, इससे पत्तन वित्तीय रू प से किसी हानिप्रद / नुकसान दायक स्थिति में भी नहीं पड़ेगा।

(vi) सीएचडी से तैनात किए गए श्रमिकों को देय टाइम-रेट-वेजेज़ और पीस-रेट-वेजेज़ स्टीवेडरों से वसूल किए जाते हैं । इसीलिए, श्रमिकों को देय टाइम-रेट-वेजेज़ और पीस-रेट-वेजेज़ का अनुमान वीपीटी द्वारा आय की ओर के साथ-साथ व्यय की ओर ठीक ही दर्शाया गया है । लेवी टाइम-रेट-वेजेज पर ही वसूल किए जाने के लिए प्रस्तावित है । वीपीटी द्वारा अनुमानित टाइम-रेट-वेजेज़ और हमारे विश्लेषण में किए गए परिवर्तन की इसके नीचे व्याख्या की गई है:-

(क) पत्तन ने पुष्टि की है कि गोदी श्रमिकों के बारे में मजदूरी-संशोधन के प्रभाव पर वर्ष 2010-11 के टाइम-रेट-वेजेज़ के अनुमान में विचार किया गया है । टाइम-रेट-वेजेज़ सीएचएलडी से श्रमिकों की तैनाती पर निर्भर करेगा । पत्तन ने अक्तूबर 2010 तक वास्तविक टाइम-रेट-वेज प्रस्तुत किया है । वर्ष 2010-11 के अनुमान के प्रयोजन से, वीपीटी द्वारा अप्रैल 2010 से अक्तूबर 2010 तक की अवधि के लिए सूचित किए गए वास्तविक टाइम रेट वेज के साथ शेष पाँच महिनों के लिए पत्तन द्वारा प्रस्तुत यथानुपात अनुमान पर विचार किया गया है । अनुमानों में डिफरेंशियल टाइम रेट वेजेज़ भी जोड़े गए हैं जिसके कारण परवर्ती पैराग्राफों में बताए गए हैं ।

(ख) वर्ष 2011-12 के लिए अनुमानित टाइम-रेट-वेजेज़ की गणना वीपीटी द्वारा, पिछले वर्ष के समान आँकड़ों में 1.4% की वृद्धि करके की गई है । वीपीटी इसका कोई तार्किक कारण नहीं दे सका कि उसने टाइम-रेट-वेजेज़ में वृद्धि को 1.4% तक ही सीमित क्यों रखा है । जबकि, इसके द्वारा प्रस्तुत सामान्य संशोधन में, वर्ष 2011-12 के दौरान समूचे यातायात में 7.5% की वृद्धि दिखाई गई है और इस वर्ष में विशेषकर कोयला के यातायात में 22.6% की वृद्धि प्रोजैक्ट की गई है । इसके अलावा, बाद के दो वर्षों 2012-13 और 2013-14 के लिए टाइम-रेट-वेजेज़ में क्रमश: 9.4% और 10.4% की वृद्धि अनुमानित की गई है ।

वीपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2010-11 में श्रमिकों की औसत तैनाती श्रमिकों की अधिकतर श्रेणियों के लिए एक माह में 14 से 16 दिन और मजदूरों, सिग्नलमैन और मिस्त्रियों के लिए एक माह में 19 से 20 दिन है । दिनांक 22 अक्तूबर 2010 के अपने पत्र के माध्यम से वीपीटी द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के लिए

प्रस्तुत टाइम-रेट-वेजेज़ की गणना की जाँच पड़ताल करने पर यह देखा गया है कि सीएचडी की सेवाएं प्राप्त करने वाली कार्गो मात्रा में वृद्धि के कारण सीएचडी से श्रमिकों की तैनाती में वृद्धि को पत्तन ने परिगणित नहीं किया है । सीएचडी सेवाएं प्राप्त करने वाला अपेक्षित कार्गो यातायात और मजदूरी लागत में वार्षिक वृद्धि, ऐसे दो अवयव हैं जो टाइम-रेट-वेजेज़ का अनुमान लगाने के लिए प्रासंगिक है ।

पत्तन ने, उससे अनुरोध किए जाने के बावजूद, वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक सीएचडी की सेवाएं प्राप्त करने / उपयोग करने वाले कार्गो की मात्रा नहीं प्रस्तुत की है । वर्ष 2010-11 में अगस्त 2010 तक सीएचडी की सेवा प्राप्त कर चुकी वास्तविक कार्गो कथित रूप से मात्रा के आधार पर वर्ष 2010-11 के लिए सीएचडी का कुल यातायात 161.65 लाख टन होगा । दरमान के सामान्य संशोधन के लिए वीपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव में, जिस पर अलग से कार्रवाई की जा रही है, वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए समूचे यातायात में अनुमानत: क्रमश: 7.5% और 11.5% की वृद्धि होने वाली है । वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए सीएचडी से संबंधित वीपीटी द्वारा प्रदत्त किसी यातायात विवरण के अभाव में, किन्तु उसी समय सीएचडी की सेवाएं प्राप्त करने वाली मात्रा को मान्य करते हुए, इस विश्लेषण के प्रयोजन से यह आवश्यक तो नहीं की सीएचडी की सेवाएं लेने वाले यातायात की मात्रा में पत्तन के यातायात में समूची बढ़वार के स्तर पर वृद्धि हो । सीएचडी की सेवाएं प्राप्त करने वाले कार्गो / यातायात की मात्रा में टाइम रेट वेज का अनुमान लगाने के प्रयोजन से 5% प्रतिवर्ष की वृद्धि मानी गई है । सात महिनों के वास्तविकों के आधार पर वर्ष 2010-11 के लिए अनुमानित टाइम रेट वेज आधार माना गया है, यातायात में 5% प्रति वर्ष की वृद्धि मानी गई है । सात महिनों के वास्तविकों के आधार पर वर्ष 2010-11 के लिए अनुमानित टाइम रेट वेज आधार माना गया है, यातायात में 5% बढ़वार के लिए उसमें समायोजन किया गया है और वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के वर्षो के लिए टाइम-रेट-वेज का अनुमान लगाने के लिए 3.76% वार्षिक वृद्धि लगायी गई है। आय की ओर विचार किया गया टाइम-रेट-वेज अनुमान व्यय की ओर भी दर्शाया गया है।

(ग) वीपीटी ने सूचित किया है कि श्रमिकों की प्रत्येक श्रेणी के लिए टाइम-रेट-वेज उच्चतम मजदूरी स्तर पर एकत्रित किए जाते हैं। श्रमिकों (कर्मचारियों) को वास्तविक भुगतान प्रत्येक कर्मचारी की हकदारी के अनुसार देय मजदूरी के संदर्भ से किया जाता है। स्टीवेडरों से वास्तव में लिए गए टाइम-रेट-वेज और (श्रमिकों को) वास्तव में भुगतान किए गए टाइम रेट वेज के बीच अंतर को,"टाइम-रेट-वेज का अंतर", शीर्ष के अन्तर्गत विविध प्राप्तियों के रुप में लेखा में डाला जाता है।

आदर्श रूप में, टाइम-रेट-वेज, तैनात किए गए कर्मचारियों को देय वास्तविक मजदूरी (के आधार) पर लिया जाना चाहिए। किन्तु इस बात को स्वीकार करते हुए कि कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए उच्चतम टाइमरेट वेज वसूल करने की प्रथा पहले से ही प्रचलित है और बिलिंग मुद्दों के लिए, इस प्रशुल्क चक्र में उसी को अनुमत किया गया है। इस प्रथा की सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल करने पर पता चलेगा कि अपनायी गई बिलिंग विधि से, स्टीवेडरों की कीमत पर पत्तन को कोई अनपेक्षित लाभ होने वाला नहीं है। प्राप्त किए गए टाइम-रेट-वेज और वास्तव में भुगतान किए गए के

बीच का अंतर आय के रूप में गिना गया है जो लेवी से पूरा किए जाने वाले अन्कवर्ड घाटे को कम करता है।

हमारे द्वारा तैयार की गई लागत विवरणी में लेवी के निर्धारण के प्रयोजन से वीपीटी द्वारा अलग से दिखाये गये टाइम-रेट-वेज का अंतर टाइम रेट वेजज़ वसूली से राजस्व के अनुमान के साथ मिला दिया गया है ताकि कुल टाइम रेट वेजेज़ का पता चल सके जिस पर लेवी प्राप्त की जाती है।

(घ) वीपीटी द्वारा अनुमानित टाइम-रेट वेजेज में अंतर की मद में राजस्व रू. 180 लाख है। अप्रैल 2010 से अक्तूबर 2010 तक की अवधि के लिए टाइम रेट वेज में अंतर की मद में वास्तविक प्राप्तियां रू. 131.08 लाख बताई गई हैं। वर्ष 2010-11 के बाकी पांच महिनों के लिए टाइम-रेट-वेजज में अंतर का अनुमान वर्ष 2010-11 के लिए टाइम-रेट-वेज अनुमानित करने हेतु अपनाए दृष्टिकोण के अनुरूप पत्तन द्वार प्रस्तुत अनुमानों के आधार पर यथानुपात लिया गया है। तदनुसार, टाइम-रेट-वेजज़ अनुमानित करने के लिए अपनाये गए दृष्टिकोण के अनुरूप वर्ष 2010-11 के लिए इस मद के लिए अनुमान रू. 206.09 लाख लिया गया है।

मूल प्रस्ताव में, पत्तन ने बाद के वर्षों 2011-12 से 2013-14 के लिए टाइम-रेट-वेज में अंतर से राजस्व का अनुमान नहीं किया है। इसने, बाद में, दिनांक 28 दिसंबर 2010 के पत्र के माध्यम से 2011-12 से 2013-14 तक के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत आय का अनुमान क्रमशः रू. 80 लाख, रू.60 लाख और रू. 40 लाख लगाया है।

इन वर्षों के दौरान टाइम-रेट-वेज में अंतर से राजस्व में तेजी से गिरावट का वीपीटी द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है। इस शीर्ष के अन्तर्गत कमी / गिरावट, यदि कोई हो तो, वह सभी कर्मचारियों द्वारा वास्तव में अर्जित मजदूरी / वेतन में एक वार्षिक वृद्धि की मद में हो सकती है। आय की इस मद का अनुमान लगाने के लिए पत्तन द्वारा दी गई किसी विस्तृत गणना के अभाव में, विश्लेषण के प्रयोजन से टाइम-रेट-वेजेज़ में अंतर का औसत,जैसा सूचित किया गया है, वर्ष 2008-09 के लिए रू. 326.35 लाख, वर्ष 2009-10 में रू. 79.50 लाख और वर्ष 2010-11 के लिए अनुमानतः रू. 206.09 लाख है जिसे आधार माना गया है और परिकल्पित 5% यातायात वृद्धि के लिए समायोजित किया गया है। यह मान्य करते हुए कि यह अनुमान कर्मचारियों को देय एक वृद्धि की सीमा तक, जो 3% है, यह मान्य करते हुए कि यह अनुमान कर्मचारियों को देय एक वृद्धि की सीमा तक, जो 3% है, कम हो जाएगा, 3.76 की मजदूरी लागत में वार्षिक वृद्धि / मजदूरी लागत में 3.76% की वार्षिक वृद्धि है जो अन्यथा लगायी जानी है, लागू नहीं की गई है। उपरोक्त परिवर्तन के अधीन, टाइम रेट वेजज़ में अंतर से राजस्व का अनुमान वर्ष 2011-12 में रू. 214.13 लाख, वर्ष 2012-13 में रू. 224.89 लाख और वर्ष 2013-14 में रू. 236.13 लाख किया गया है ।

(ड.) लागत विवरणी में विचार किए गए टाइम रेट वेजज़ में अंतर से राजस्व रू. 1836.99 लाख, रू. 1976.40 लाख रू. 2144.80 लाख और 2327.83 लाख है ।

(vii) वीपीटी द्वारा प्रस्तुत लागत विवरणी. टाइम-रेट-वेजेज़ के अलावा आय और व्यय की विभिन्न मदें भी दर्शाती हैं । विचार की गई परिवर्तित लागत विवरणी में आय और व्ययों की प्रकृति के आधार

पर आय और व्यय की विभिन्न मदों को वर्गीकृत किया गया है । वीपीटी द्वारा अनुमानित आय और व्यय की अन्य मदों से संबंधित विश्लेषण और अनुमानों में किए गए परिवर्तनों पर इसके नीचे संक्षेप में चर्चा की गयी है:-

(क) वीपीटी ने इस बात की पुष्टि की है कि उसने कार्मिक मापकों पर राष्ट्रीय पंचाट का निर्णय (नेशनल ट्रिब्यूनल अवार्ड) क्रियान्वित कर दिया है और तद्नुसार, कार्गो प्रहस्तन की विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्मिक मापक संशोधित किए जा चुके हैं । पत्तन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वर्तमान प्रोत्साहन योजना को 1 मई 2010 से अंतिम रू प दिया गया था और अनुमानों में वर्तमान प्रोत्साहन योजना की गनिती होती है । वर्ष 2010-11 के लिए प्रस्तुत किए गए पीस-रेट-वेजेज़ के अनुमान तार्किक / युक्तिसंगत नज़र आते हैं जब अक्तूबर 2010 तक सूचित किए गए वास्तविकों को पूरे वर्ष के लिए विस्तारित किया गया और इसलिए वीपीटी के अनुमान स्वीकार किए जाते हैं । 2011-12 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए पीस-रेट पेमैंट के क्रमश: 2.7%, 0.4% और 0.5% गिरने का अनुमान है ।

स्टीवेडरों से प्राप्त राशि और कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि को प्रदर्शित करते हुए पीस रेट वेजेज़ आय के साथ-साथ व्यय के स्तर पर समान रू प से दिखाए गए हैं ।

(ख) वीपीटी ने 2010-11 से 2013-14 तक अनुमानों में सहकारी सोसायटियों को ऋण पर ब्याज से आय, निवेश पर ब्याज और प्रशासनिक तथा इतर कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज पर आय की ओर विचार किया है । वीपीटी ने, व्यय के खाते में (की ओर) वर्ष 2010-11 के अनुमानों में भविष्य निधि न्यास पर देय ब्याज पर विचार किया है । इस प्राधिकरण द्वारा अनुपालित सामान्य नज़रिए के अनुरू प, आय पक्ष और व्यय पक्ष दोनों ओर से ब्याज अवयव, लागत विवरणी से बाहर रखा जाता है उसमें शामिल नहीं किया जाता है।

(ग) पत्तन ने बाताया है कि 3.76% की वार्षिक वृद्धि, प्रशुल्क मार्गदर्शियों के अनुसार अनुमत, तात्कालिक मामलों में लागू नहीं होगी, क्योंकि प्रमुख लागत अवयव / घटक श्रमिक अवयव से संबंधित है । पत्तन ने 5% से 10% वार्षिक वृद्धि पर विचार करते हुए व्ययों का अनुमान लगाया है । वर्ष 2009-10 के लिए थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष 2010-11 के लिए अपनाया गया वार्षिक वृद्धि अवयव 3.76% है। 3.76% की वार्षिक वृद्धि वर्ष 2010-11 में निर्णित अन्य प्रशुल्क संशोधन प्रकरणों, यथा, मुर्गाव पत्तन न्यास साऊथ-वैस्ट पत्तन लिमिटेड इत्यादि पर समान रू प से लागू किया गया है। प्रशुल्क मार्गदर्शी कार्गो प्रहस्तन कर्मचारी से संबंधित प्रभार निर्धारित करने में किसी विभेदीय / भेदभावमूलक व्यवहार का निर्देश नहीं करते। इसलिए व्यय के अनुमान में वार्षिक वृद्धि जहां कहीं इसे अधिक पाया गया है, नीचे दिए विश्लेषण की शर्त पर 3.76 % पर सीमित रखी गई है।

(घ) पत्तन ने कर्मचारियों को वीआरएस भुगतान पर एक लागत के रू प में विचार किया है और इस व्यय को पांच वर्षों में किश्त बद्ध किया है। वेतन / मजदूरी तथा पेंशन के बकाया, वीआरएस प्रतिपूर्ति इत्यादि जैसे एक समय के व्यय प्रशुल्क निर्धारित करते

समय स्वीकार्य लागत के रू प में अनुमत नहीं हैं। इसलिए, वीआरएस भुगतान पर वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के वर्षों की लागत-विवरणियों में विचार नहीं किया गया है।

(ङ) टाइम-रेट-वेजेज़ उन कर्मचारियों को किया गया भुगतान दर्शाता है जो कार्गो प्रहस्तन सेवाओं के लिए लगाए गए हैं। टाइम रेट वेजेज़ के अलावा कर्मचारियों को देय वह मजदूरी जो उस अवधि के लिए दी जाती है जब उन्हें तैनात नहीं किया जाता है, वीपीटी द्वारा लागत विवरणी में व्यय के रू प में अलग से प्रदर्शित की गई है। पत्तन ने इस बात की पुष्टि की है कि कर्मचारियों, अधिकारियों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को वर्ष 2010-11 में किए गए भुगतान का अनुमान, मजदूरी / वेतन संशोधन के प्रभाव पर विचार करने के बाद ही है। इसने यह भी पुष्टि की है कि इस शीर्ष के अधीन वर्ष 2010-11 के लिए अनुमान में विगत से संबंधित कोई बकाया शामिल नहीं है।

वर्ष 2010-11 में वीपीटी ने कर्मचारियों को अनुमानित भुगतान रू .1989.46 लाख आंका है। कर्मचारियों (श्रमिकों) एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को भुगतान पर व्यय सामान्य तथा एक निर्धारित ढांचे का अनुपालन करेगा। जब वीपीटी द्वारा अक्तूबर 2010 तक के प्रस्तुत वास्तविकों को पूरे वर्ष के लिए विस्तारित किया जाता है तो वीपीटी द्वार प्रस्तुत अनुमान अधिक ऊंचे पाए गए हैं। अक्तूबर 2010 तक के प्रस्तुत वास्तविकों के आधार पर वर्ष 2010-11 के अनुमानों को परिवर्तित किया गया है। वर्ष 2010-11 में अधिकारियों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को भुगतान का अनुमान, जब इसकी तुलना अक्तूबर 2010 तक के वास्तविकों के विस्तारित आंकड़ों से की गई तो, तर्क संगत पाया गया और इस लिए स्वीकार किया जाता है।

कर्मचारियों, अधिकारियों एवं प्रशा. कर्मचारियों को किया जाने वाला भुगतान वर्ष 2012-13 और 2013-14 में 5% वार्षिक की दर से बढ़ने का अनुमान है। वीपीटी ने बताया है कि सीएचडी के अन्तर्गत कर्मचारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों की कुल संख्या 2010-11 में 1165 से, वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक गिरकर क्रमशः 1015, 981 और 974 रह जाने की उम्मीद है। कर्मचारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को, वीपीटी द्वारा अनुमानित भुगतान में ऐसा लगता है, कर्मचारियों एवं अधिकारियों / प्रशा. कर्मचारियों की गिरती संख्या, विशेषकर वर्ष 2012-13 और 2013-14 में, पर भी ध्यान दिया गया है।

कर्मचारियों एवं अधिकारियों / प्रशा. कर्मचारियों को भुगतान के अनुमानों को वर्ष 2010-11 के लिए विचारित कर्मचारियों / प्रशा. कर्मचारियों एवं अधिकारियों को औसत भुगतान पर विचार करते हुए वीपीटी द्वारा प्रस्तुत कर्मचारियों / प्रशा. कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संख्या-शक्ति पर यह मानते हुए कि औसतन सेवा निवृति भिन्न-भिन्न वर्षों के माध्यम में होगी और 3.76% की वार्षिक वृद्धि लागू करते हुए परिवर्तित किया गया है।

(च) वीएसए ने तर्क दिया है कि लेवी का प्रावधान कर्मचारियों को देय प्रत्यक्ष खर्चों की वसूली के ही लिये होना चाहिए और परोक्ष व्यय जैसे वे क्वार्टर्स जो अब श्रमिकों द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाते, स्कूल इत्यादि वीपीटी के समूचे उपरिव्यय में शामिल किए जाने चाहिए और पोत घाट शुल्क के जरिए वसूल किए जाने चाहिए। पत्तन ने स्पष्ट

किया है कि प्रशासन एवं अन्य खर्चे सीएचडी गतिविधि से संबंधित हैं और क्वार्टर इत्यादि जैसी सुविधाएं सीएचडी श्रमिकों द्वारा और प्रशा. कर्मचारियों द्वारा ही इस्तेमाल की जा रही हैं और इसलिए सीएचडी से संबंधित व्यय लेवी के एक भाग के रूप में ही वसूल किया जाना है। वीएसए का सुझाव कि सीएचडी के उपरिव्यय की वसूली पत्तन के दरमान के सामान्य संशोधन के जरिए की जानी चाहिए, अन्य कार्गो को तट के उस बोझ में हाथ बंटाने के लिए साथ जोड़ देगा जो सेवाएं उसने हासिल ही नहीं की हैं। इसके परिणाम स्वरूप सीएचडी गतिविधि की अन्य गतिविधि द्वारा वित्तीय सहायता देना हो जाएगा। इसलिए, वीएसए द्वारा उठाए गए बिन्दु पर विचार नहीं किया जा सकता।

(छ) कार्यालय अनुरक्षण, मरम्मत और अनुरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि की मद में वर्ष 2010-11 के लिए वीपीटी द्वारा खर्चों के अनुमान को, अक्तूबर 2010 तक प्रस्तुत किए वास्तविकों के आधार पर आंकड़ों को फैलाकर परिवर्तित / परिष्कृत किया गया है जैसा कर्मचारियों एवं प्रशा. कर्मचारियों को भुगतान के अनुमान के लिए किया गया था।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के लिए वीपीटी ने अधिकतर मदों का अनुमान लगाते हुए 5% वृद्धि अवयव पर विचार किया है और स्वास्थ्य संबंधी खर्चे का अनुमान करते समय 10% वार्षिक वृद्धि अवयव पर विचार किया गया है। वर्ष 201-12 से 2013-14 तक के लिए अनुमानों में, अन्य व्यय अनुमानित करने के लिए अपनाए गए सामान्य दृष्टिकोण के अनुरूप वार्षिक वृद्धि विभिन्न गत वर्षों के अनुमानों पर 3.76% वार्षिक तक सीमित रखी गई है।

(ज) वर्ष 2009-10 के लिए सूचित वास्तविकों में सामूहिक छुट्टी नकदीकरण योजना (ग्रुप लीव ऐन्कैशमैंट स्कीम) की मद में रू. 4.74 करोड़ भी शामिल हैं। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि अनुमान वर्ष 2009-10 के लिए भा.जी.बी. निगम द्वारा प्रदत्त सामु.छु.न.यो. के बीमांककीय मूल्यांकन पर आधारित है। वर्ष 2010-11 के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत रू.1.33 करोड़ अनुमानित है। जब वीपीटी द्वारा शीर्ष के अंतर्गत अक्तूबर 2010 तक प्रस्तुत वास्तविकों को पूरे वर्ष के लिए विस्तारित किया जाता है तो वर्ष 2010-11 के लिए अनुमान मेल खाता हुआ पाया गया है और इस लिए, इस मद के लिए वीपीटी द्वारा प्रस्तुत अनुमान को स्वीकार किया जाता है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के अनुमानों में सा.छु.नक.योजना का कोई अनुमान शामिल नहीं है।

(झ) पेंशन निधि, उपादान-निधि, भविष्य निधि, गृ.निर्मा.अग्रिम निधि इत्यादि की मद में अंशदान, पिछले वर्ष 2008-09 में रू. 565.37 लाख की तुलना में वर्ष 2009-10 में रू. 2124 लाख सूचित किया गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान पेंशन निधि उपादान निधि इत्यादि में अंशदान में वृद्धि, वर्ष 2008-09 के लिए सूचित किए गए वास्तविक अंशदान की तुलना में लगभग चार गुना पाया गया है। उपरोक्त निधि की मद में वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए अंशदान क्रमशः रू. 1940 लाख और रू. 1958 लाख अनुमानित किया गया है। बाद के दो वर्षों के लिए पत्तन ने भिन्न-भिन्न पिछले वर्षों के अनुमानों पर क्रमशः 5% और 10% की वृद्धि का अनुमान किया है।

वर्ष 2008-09 के वास्तविकों से इस मद में एकाएक वृद्धि का कारण मांगने पर पत्तन ने स्पष्ट किया है कि अंशदान में वृद्धि मुख्य रूप से, संशोधित वेतनमान, मंह.भत्ते में सावधिक वृद्धि इत्यादि के परिणामस्वरूप संशोधित बीमांककीय मूल्यांकन के कारण है। वर्ष 2009-10 में पेंशन निधि में रू. 1519 लाख के कथित अंशदान में से, पत्तन ने स्पष्ट किया है कि रू. 852.87 लाख पेंशन निधि को किया गया वास्तविक अंशदान है और रू.667 लाख पेंशन निधि के लिए अंशदान की मद में किया गया प्रावधान है जो जनवरी 2010 में घोषित किए गए वेतन-संशोधन पर आधारित है। उपादान निधि को अंशदान वर्ष 2009-10 में कथित रूप से रू. 595.58 लाख सूचित किया गया है यह सीएचडी कर्मचारियों के मूल वेतन और मंह.भत्ते के योग का 8.33% किया गया है।

पत्तन ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2010-11 के दौरान पेंशन निधि को किया गया अंशदान कर्मचारियों के मूल वेतन और मंह.भत्ते का 27% है और यदि अंशदान एक लाख रूपये प्रति कर्मचारी से अधिक है तो अंशदान को प्रति कर्मचारी एक लाख रूपया सीमित किया गया है। वर्ष 2009-10 में पेंशन-निधि में अंशदान 27% पर किया गया था जिसके लिए मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का योग प्रति कर्मचारी 1 लाख रूपये पर सीमित किया गया था। पेंशन निधि और उपादान निधि को अंशदान कथित रूप से समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुरूप बीमांककीय मूल्यांकन के अनुसार है।

यद्यपि अपने अनुमानों का औचित्य बताने के लिए पत्तन ने प्रयास किया है, तो भी इस मद में एकाएक इतनी वृद्धि के लिए कोई स्पष्ट स्थिति नहीं उभरती। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1 अप्रैल 2010 तक पेंशन निधि देनदारी अनुमान, बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार रू.320 करोड़ आंका गया है। पेंशन निधि जमा शेष 01.04.2010 को रू. 158.20 करोड़ बताया है गया है और 1 अप्रैल 2010 को पेंशन निधि में रू. 162 करोड़ की कमी अनुमानित की गई है। पत्तन ने इस बात की पुष्टि की है कि पेंशन निधि, उपादान निधि आदि की मद में अंशदान के अनुमान में कोई बकाया राशि शामिल नहीं है। विशेष अनुरोध किए जाने के बाद भी पत्तन ने दिनांक 28 दिसंबर 2010 के द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के संदर्भ से वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए विभिन्न निधियों को अनुमानित अंशदान की गणना / गणना-विवरण नहीं दिया है।

फिर भी, पत्तन द्वारा प्रस्तुत स्थिति से यह उभरता है कि पेंशन निधि देनदारी में बहुत ज्यादा कमी है जो 1 अप्रैल 2010 को लगभग रू. 162.00 करोड़ थी। अतएव, पेंशन निधि, उपादान निधि, भविष्य निधि आदि में अंशदान जैसा वर्ष 2009-10 में बताया गया है और वीपीटी द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए अनुमानित किया गया है, बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाते हैं। बाद के वर्षों के लिए विभिन्न निधियों को कुल अंशदान 3.76% की वार्षिक वृद्धि तक सीमित है, जैसा अन्य मदों के लिए अनुमत किया गया है।

जैसा कि पहले बताया गया है, वीपीटी के अनुमानों में स्पष्टता का अभाव है। इस संबंध में वास्तविक स्थिति का अगली प्रशुल्क समीक्षा के समय सत्यापन किया जाएगा और अतिरिक्त अनुमान, यदि कोई होगा तो, जो अभी स्वीकार किया गया होगा, उसे अगले चक्र में ठीक ठाक करने के लिए पूर्ण रूपेण समायोजित किया जाएगा।

(ञ) (i) वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष से संबंधित मदों का अनुमान रू . 87 लाख है जिसमें पिछले वर्ष के लिए मजदूरी (वेतन) संशोधन बकाया मद में रू . 52 लाख भी शामिल हैं। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि वेतन संशोधन बकाया के लिए प्रावधान वर्ष 2008-09 और 2009-10 में किया गया था। प्रावधान में रू .52 लाख की कमी के कारण वर्ष 2010-11 में भुगतान किया गया वेतन संशोधन बकाया, पिछले वर्ष से संबंधित मदों के अंतर्गत एक व्यय माना गया है।

2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.5.2 के अनुसार वेतन / पेंशन के बकाया भुगतान, वीआरएस मुआवजा, विगत देनदारी के लिए पेंशन निधि में अंशदान आदि जैसी एक समय की देनदारी को प्रशुल्क निर्धारित करते समय ग्राह्य लागत के रू प में अनुमत किया गया है। ऐसी बकाया देनदारियों की पूर्ति संचयित अधिशेषों / आरक्षित (निधियों) से जो विशिष्ट रू प से विनिर्दिष्ट निधियों अथवा प्रावधानों से इतर हैं, की जानी है और यदि ये सब भी अपर्याप्त हो तो एक सीमित अवधि के लिए एक विशेष दर के जरिए विगत अवधि के लिए सीएचडी वार्षिक लेखा में सूचित किए गए घाटे को देखते हुए वेतन बकाया प्रावधान में कमी को आरक्षितियों / अधिशेषों से कवर नहीं किया जा सकता। 2005 के मार्गदर्शी, ऐसी एक समय की देनदारियों को जिनकी आरक्षितियों और अधिशेषों से पूर्ति नहीं की जा सकती, सीमित अवधि के लिए एक विशेष दर के जरिए वसूल करने की अनुमति देते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि राशि महत्वपूर्ण नहीं है, मात्र इस एक देनदारी के लिए एक अलग दर प्रदान करने की बजाय इसे विगत अवधि क्षति (हानि) के साथ जोड़ दिया गया है जिसके लिए एक विशेष दर प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2010-11 में सूचित रू . 52 लाख के वेतन बकाया को जो पिछले वर्ष से संबंधित हैं, विगत अवधि हानि के साथ जोड़ा जाता है और उनकी पूर्ति अलग से प्रदत्त विशेष लेवी से की जाती है।

(viii) वीपीटी ने नियोजित पूंजी में कार्यकारी पूंजी को शून्य माना है। वर्ष 2009-10 के वार्षिक लेखा में वर्णित निब्बल अचल परिसंपत्तियों नियोजित पूंजी के लिए आधार लिया गया है जिस पर विश्वास किया गया है। पत्तन ने 2010-11 से 2013-14 तक के वर्षों के दौरान परिसंपत्तियों के सकल खंड में कोई अभिवृद्धि प्रस्तावित नहीं की है। 2010-11 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए निब्बल अचल परिसम्पत्तियों का अनुमान लगाते हुए वीपीटी द्वारा विचार किए गए मूल्यहास में कुछ अंकगणितीय त्रुटि दिखाई पड़ती है जो हमारे विश्लेषण में ठीक कर दी गई है।

पत्तन ने निब्बल अचल परिसम्पत्तियों को व्यापारिक परिसम्पत्ति और व्यापार संबंधी परिसम्पत्ति के रू प में श्रेणीबद्ध / वर्गीकृत किया है। वीपीटी द्वारा प्रस्तुत किए गए परिसंपत्तियों के रू प में श्रेणीबद्ध / वर्गीकृत किया है। वीपीटी द्वारा प्रस्तुत किए गए परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर विश्वास किया गया है। किन्तु निब्बल अचल परिसंपत्तियों के अनुमान में किए गए परिवर्तन की नज़र से, निब्बल अचल परिसंपत्तियों के व्यापारिक परिसंपत्ति एवं व्यापार संबंधी परिसंपत्तियों के बीच अनुपात वीपीटी द्वारा अनुमानित स्तर पर बरक़रार रखते हुए परिवर्तित किया गया है।

पत्तन ने नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना व्यापारिक परिसंपत्तियों के लिए 16% पर और व्यापार संबंधी परिसंपत्तियों पर 35% पर परिगणित की है। चूंकि वर्ष 2010-11 के लिए प्रतिलाभ की निर्धारित दर व्यापारिक परिसंपत्तियों के लिए 16% और व्यापार संबंधी परिसंपत्तियों के लिए 8.4% है, 2010-11 से 2013-14 तक के सभी वर्षों के लिए प्रतिलाभ की दर, व्यापारिक

परिसंपत्तियों के लिए 16% और व्यापार संबंधी परिसंपत्तियों के लिए 8.4 % पर विचार किया गया है।

(ix) उपरोक्त विश्लेषण के अधीन वीपीटी द्वारा प्रस्तुत लागत विवरणी को परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित लागत विवरणी **संलग्नक-I** के रूप में संलग्न है। हमारे द्वारा तैयार की गई संशोधित लागत विवरणी में प्रतिबिम्बित / प्रदर्शित लागत स्थिति का सार संक्षेप नीचे दिया गया है :-

(रूपये लाख में)

वर्ष	टाइम रेट वेजेज़	शुद्ध घाटा	शुद्ध घाटा, टाइम रेट वेजेज़ के % के रूप में
2010-11	1836.99	(-)5244.23	(-)285%
2011-12	1976.40	(-)5004.77	(-)253%
2012-13	2144.80	(-)4945.40	(-)231%
2013-2014	2327.83	(-)5063.36	(-)218%
2010-11 (मार्च 2011 से 2013-14 तक) की अवधि के लिए कुल योग	**6602.12**	(-)15450.55	(-)234%औसत

इस मामले में अनुमोदित लेवी जब तक प्रभावी की जाएगी / लागू की जाएगी तब तक वर्ष 2010-11 समाप्ति पर आ चुका होगा। इसलिए, विशेष लेवी का निर्धारण करने के लिए वर्ष 2010-11 का अनुपातिक घाटा और ग्यारह माह के दौरान अर्थात 1 अप्रैल 2010 से 28 फरवरी 2011 तक पत्तन द्वारा वसूल की गई लेवी आय पर विगत अवधि के भाग के रूप में विचार किया गया है।

उपर्युक्त के आधार पर, मार्च 2011 और 2011-12 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए रू. 15450 लाख के कुल अनुमानित घाटे पर लेवी निर्धारण के लिए विचार किया जाता है। लागत विवरणी के अनुसार रू. 15450 लाख के घाटे की भरपाई करने के लिए लेवी टाइम-रेट-वेजेज़ का 234% है। इस प्रकार सीएचडी के लिए लेवी टाइम-रेट-वेजेज़ का 234% पर प्रदान की गई है।

पत्तन ने स्पष्ट किया है कि तापीय कोयले के वैगन उतारने संबंधी प्रचालनों में लगाए गए कर्मचारियों (श्रमिकों) के मामले में सामान्य लेवी के अतिरिक्त, सामान्य लेवी के बराबर एक अलग लेवी प्राप्त की जा रही है जिसे, विलय के समय से प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार पीस रेट लेवी कहा जाता है। पीस रेट लेवी के नाम में अलग लेवी प्राप्त करने का पत्तन द्वारा कोई तर्क और आधार नहीं बताया गया है। प्रस्ताव में भी, पत्तन ने तापीय कोयले पर स्पष्ट तौर पर पीआर लेवी प्रस्तावित नहीं की है। सिर्फ इतना ही बताया है कि इसे प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार (और) बिना किसी अन्य व्याख्या के प्राप्त किया जाएगा। लागत विवरणी के अनुसार घाटे को पूरा करने के लिए लेवी टाइम रेट वेजेज़ का 234% है जो वैगन उतारने संबंधी प्रचालनों के लिए सीएचडी से श्रमिकों की तैनाती प्राप्त करने वाले तापीय कोयले समेत सभी प्रकार के कोयले पर समान रूप से लागू होगा।

टाइम रेट वेज के 234% पर लेवी श्रमिकों का देय टाइम रेट और पीसरेट की वसूली के अतिरिक्त है जो सीएचडी से श्रमिकों की तैनाती के लिए व्यापार-जगत से प्राप्त की जाती है।

(x) (क) यह ध्यान देने योग्य है कि विलय के समय पत्तन द्वारा प्राप्त की जा रही 189% लेवी में टाइम-रेट-वेजेज़ की 50% लेवी भी शामिल थी जिसे विगत अवधि हानि के समक्ष समायोजित किया गया था। इस प्रकार के समायोजनों के बाद 31 मार्च 2010 को संचयी / समेकित घाटा वार्षिक लेखा में रू. 55.40 करोड़ बताया गया है। वर्ष 2008-09 और 2009-10 के ब्याज-आय, ब्याज-व्ययों और वीआरएस भुगतानों को छोड़ते हुए जिन पर प्रशुल्क के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया गया है, वार्षिक लेखा में वर्णित स्थिति पर विश्वास किया गया है। जैसाकि पहले बताया गया है, वर्ष 2010-11 में किया रू. 52 लाख के वेतन बकाया का भुगतान विगत अवधि घाटा में जोड़ा गया है। उपरोक्त समायोजन के अधीन 31 मार्च 2010 तक कुल विगत अवधि घाटा रू. 5554 लाख है।

2005 के मार्गदर्शियों में, विगत हानियों की भरपाई हेतु कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। इस बात को मान्य करना होगा कि यह सारा परिश्रम इस गतिविधि को आत्मनिर्भर बनाने क लिए किया जा रहा है जो समझौता ज्ञापन की शर्तों में से एक है। यहां तक कि व्यापार-जगत ने भी कोई बिन्दुवार आपत्ति व्यक्त नहीं की है, सिवाय आधारभूत लेवी निर्धारित करने के लिए विगत अवधि घझटे को जोड़ने की बजाय एक अलग लेवी का अनुरोध किया है।

(ख) लागत विवरणी के अनुसार गतिविधि वर्ष 2010-11 में रू.5244.23 लाख का अनुमानित घाटा प्रतिबिम्बित करती है। ग्यारह महिनों की अवधि अर्थात 1 अप्रैल 2010 से 28 फरवरी 2011 तक के लिए घाटा जिसे विगत अवधि का हिस्सा माना गया है, रू. 4807.21 लाख होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि लागत विवरणी में दिखाया गया अनुमानित घाटा पत्तन द्वारा तदर्थ आधार पर वसूल की गई लेवी से आय को गिनने से / खाते में लेने से पहले का है। वीपीटी ने लेवी से आय रू. 6395.31 लाख अनुमानित की थी। पत्तन द्वारा तदर्थ आधार पर लेवी लगाने से अक्तूबर 2010 तक एकत्रित की गई वास्तविक आय रू. 4091.57 लाख है और नवंबर 2010 से फरवरी 2011 तक शेष चार महिनों के लिए अनुमान, पत्तन द्वारा प्रस्तुत अनुमानों पर यथानुपात आधार पर रू. 2131.77 लाख है। इस प्रकार, लेवी से 28 फरवरी 2011 तक कुल राजस्व रू. 6223.34 लाख है जो समकालीन अवधि के लिए प्रदर्शित घाटे के समायोजन के बाद रू. 1416.13 लाख का अधिशेष छोड़ जाता है। रू. 1416.13 लाख का यह अधिशेष, विगत अवधि के लिए आकलित हानि को पूरा करने के लिए लगाया गया है।

(ग) ब्याज की आय एवं ब्याज पर व्यय प्रशुल्क-निर्धारण में स्वीकार्य नहीं हैं और इसलिए इन्हें बाहर रखा गया है। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में अर्जित ब्याज-पर-व्ययों से अधिक ब्याज की आय और वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के लिए अनुमानित स्थिति कुछ सीमा तक विगत अवधि घाटे को पूरा करने का साधन है। 2008-09 और 2009-10 के वर्षों के लिए खर्चों के ऊपर बताई गई शुद्ध ब्याज आय की राशि और वर्ष

2010-11 से 2013-14 के लिए अनुमानित कुल राशि रु. 195 लाख को विगत अवधि हानि के समक्ष समायोजित किया गया है।

(घ) टाइम-रेट-वेजेज़ के 300% पर वर्तमान लेवी से पत्तन, 1 अप्रैल 2010 से शुरू करके सात से आठ वर्षों की अवधि में विगत अवधि घाटे की वसूली की अपेक्षा करता है। प्रस्तुत की गई लागत विवरणी के अनुसार, 300% की प्रचलित लेवी पर इस प्रशुल्क चक्र के अंत में विगत अवधि से संबंधित अनकवर्ड घाटा रू. 25.43 करोड़ रहने की उम्मीद है। विगत अवधि घाटा टाइम-रेट-वेजेज़ के 350% की प्रस्तावित लेवी पर चार वर्षों में अर्थात 2013-14 तक वसूल कर लिए जाने की उम्मीद है। वसूली अवधि को केवल एक विशिष्ट प्रशुल्क चक्र से बांध देने (सीमित कर देने) और उपयोगकर्त्ताओं पर बोझ डाल देने का कोई विशेष कारण नज़र नहीं आता है। संचयित घाटे की वसूली उपयोगकर्त्ताओं पर कोई बोझ डाले बिना धीरे-धीरे की जानी चाहिए और साथ ही इसे पत्तन की कीमत पर (खर्चे पर) बहुत लम्बे समय तक खींचा नहीं जा सकता है। मुर्गाव पत्तन न्यास ने 2006 में अपने प्रशुल्क संशोधन के समय, पांच वर्ष की अवधि में पेंशन निधि में वृद्धि करने हेतु विशेष लेवी आरंभ करने का प्रस्ताव किया था। इस प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया था कि पेंशन देनदारी को अपेक्षाकृत लंबी समयावधि में फैला दिया जाए ताकि उपयोगकर्त्ताओं पर बोझ कम किया जा सके। 2006 में एक प्रशुल्क चक्र के लिए आरंभ की गई विशेष लेवी मई 2010 में अनुमोदित एमओपीटी के प्रशुल्क संशोधन में एक और प्रशुल्क चक्र के लिए विस्तारित कर दी गई। यह ध्यान देने योग्य है कि कोलकाता पत्तन न्यास के मामले में जहां पेंशन निधि में कमी बहुत अधिक पाई गई थी, तीन प्रशुल्क चक्रों में पेंशन निधि में वृद्धि करने के लिए एक विशेष लेवी आरंभ की जा रही है। वर्तमान मामले में, विगत अवधि घाटे को 1 मार्च 2011 से आरंभ होने वाले दो प्रशुल्क चक्रों में वसूल किए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) विगत अवधि घाटे से संबंधित स्थिति का विवरण यहां नीचे दिया गया है :-

(रू. लाखों में)

1.	31 मार्च 2010 तक विगत अवधि घाटा		-5554
2.	(क)लागत विवरणी के अनुसार वर्ष 2010-11 के लिए घाटा (रू.5244.23 लाख 28 फरवरी 2011 तक 11 महिने के लिए समानुपातिक रूप से विचार किया गया)	-4807.21	
	(ख)घटाइए:1अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 तक 250% पर और उसके बाद 28 फरवरी 2011 तक 300% पर तदर्थ आधार पर लेवी की वसूली से वीपीटी द्वारा अर्जित राजस्व	6223.34	
	(ग) वर्ष 2010-11 के लिए शुद्ध अधिशेष		1416.13
3.	वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक के लिए ब्याज खर्चों से अधिक शुद्ध ब्याज आय		195.00
4.	विगत अवधि घाटे के लिए शुद्ध घाटा,1 मार्च 2011 को (1+2+ 3)		-3942.87
5.	1 मार्च 2011 से 31 मार्च 2014 तक वर्तमान चक्र में वसूल किए जाने वाला विगत (शुद्ध) घाटा		-2026.20
6.	मार्च 2011 के माह तथा 2011-12 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए कुल टाइम-रेट-वेजेज़		6602.12

7.	विगत अवधि घाटे को पूरा करने के लिए विशेष लेवी (टाइम रेट वेज का %)	31%

तदनुसार, विगत अवधि घाटे की पूर्ति के लिए टाइम-रेट-वेज के 31% की विशेष लेवी को अनुमोदन प्रदान किया जाता है। पत्तन को सलाह दी जाती है कि वह विशेष लेवी से उत्पन्न होने वाली आय का एक अलग खाता रखे और राजस्व का केवल घोषित प्रयोजनों के लिए ही उपयोग करे। पत्तन को, अगली समीक्षा के समय जांच-पड़ताल के लिए इस संबंध में ऑडिट किया हुआ लेखा प्रस्तुत करना चाहिए जिसके आधार पर अगले चक्र के लिए विशेष लेवी की मात्रा का निर्णय लिया जाएगा।

(xi) वीपीटी ने कार्गो प्रहस्तन संभाग (कार्गो हैंडलिंग डिविज़न), गोदी कार्य (डॉक वर्क), गोदी कर्मचारी (डॉक वर्कर), लेवी-दर (रेट ऑफ लेवी) टाइम-रेट-वेज और पीस रेट (वेज) की परिभाषाओं को अपने दरमान के वर्तमान खंड 1 में शामिल करने का प्रस्ताव किया है। मुर्गाव पत्तन न्यास (एमओपीटी), न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी), मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) और चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के दरमानों में स्टीवेडरिंग प्रचालनों के लिए कार्गो प्रहस्तन श्रमिकों की तैनाती के लिए प्रभार अनुमोदित करते समय इन शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है। गोदी कार्य गोदी कर्मचारी शब्दों की परिभाषा पत्तन की आम बोलचाल की भाषा है (ये शब्द पत्तन की बोलचाल की भाषा में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं) और इसलिए इनको दरमान में परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीपीटी और वीडीएलबी के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन में कार्गो प्रहस्तन संभाग को परिभाषित किया गया है।

टाइम-रेट-वेजेज़ एवं पीस-रेट-वेजेज़, जो कर्मचारियों को देय हैं, मजदूरी समझौते के अनुसार बताया जाता है।

पत्तन ने लेवी-दर को, स्टीवेडरों से लिए जाने के लिए कर्मचारियों को प्रदत्त टाइम-रेट-वेजेज़ की प्रतिशतता के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव किया है। इसका उपयोग कार्गो प्रहस्तन संभाग के प्रशासनिक एवं कल्याण संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए किया जाएगा। लेवी की वसूली का तरीका अनुसूची में अलग से वर्णित है और इसलिए लेवी-दर को अलग से परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। अनुसूची के नीचे यह बताने के लिए कि लेवी का भुगतान स्टीवेडरों द्वारा वीपीटी को किया जाना है, एक नोट डाला गया है।

(xii) इस प्रकरण पर कार्रवाई करने के दौरान तमिलनाडु विद्युत बोर्ड से प्राप्त अभ्युक्तियों से यह उभर कर आया कि पत्तन ने प्रस्तावित लेवी लागू कर दी है। दिनांक 9 अगस्त 2010 के हमारे पत्र द्वारा पत्तन को सावधान कर दिया गया था कि इस प्राधिकरण ने वीपीटी के दरमान में, कार्गो प्रहस्तन संभाग से श्रमिकों की तैनाती किए जाने के लिए कोई लेवी अनुमोदित नहीं की है। वीपीटी ने स्पष्ट किया है कि सीएचडी में भरपूर वित्तीय घाटे को देखते हुए वीपीटी ने व्यापार-जगत के साथ मतैक्य स्थापित करने के बाद 189% की वर्तमान / प्रचलित लेवी को 1.4.2010 से 30.6.2010 तक की तीन माह की अवधि के लिए 250% तक और इसके बाद 350% तक बढ़ाने का निर्णय लिया। व्यापार जगत में टीएनईबी के प्रहस्तन एजेन्ट, वीएसए के प्रतिनिधि आदि इस समुदाय के अन्य सदस्य भी थे। किन्तु, पत्तन ने व्यापार-जगत द्वारा किए गए अनुरोध को देखते हुए लेवी को 300% तक सीमित रखा।

प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.17.1 से 2.17.3 के अनुसार जब कभी / जहां कहीं किसी सेवा / कार्गो के लिए विशिष्ट प्रशुल्क अधिसूचित दरमान में उपलब्ध नहीं हो, तो पत्तन उसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है और दर को तदर्थ आधार पर तब तक लगा सकता है जब तक कि दर अंतिम रू प से अधिसूचित न कर दी जाए । इस प्रयोजन से तदर्थ दर तुलनीय / समान सेवाओं / कार्गो के लिए प्रचलित अधिसूचित प्रशुल्कों के आधार पर परिगणित की जानी चाहिए और इन पर पत्तन और सम्बद्ध उपयोगकर्त्ताओं के बीच परस्पर सहमति होनी चाहिए ।

इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वीपीटी के दरमान ने सीएचडी के लिए कोई दर प्रदान नहीं की क्योंकि विलय से पहले अर्थात 25 सितंबर 2008 तक इसे वीडीएलबी द्वारा प्रचालित किया जाता था । विलय के बाद वीपीटी ने यह सेवा 189% की तात्कालिक लेवी पर प्रदान करना जारी रखा । यह लेवी वीडीएलबी द्वारा प्राप्त की जाती थी । चूंकि तात्कालिक लेवी (दर) पर प्रचालनों को जारी रखना व्यवहार्य नहीं पाया गया, वीपीटी ने व्यापार-जगत की सहमति प्राप्त करने के बाद लेवी बढ़ाने का प्रस्ताव किया और पहली अवस्था - 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010 पर 250% की प्रस्तावित वृद्धि लागू की । 30 जून 2010 के बाद की अवधि के लिए, यद्यपि मूल प्रस्ताव में लेवी को टाइम-रेट-वेज के 350% पर प्रस्तावित किया गया था, पत्तन टाइम रेट वेजेज़ के 300% पर लेवी प्राप्त करता आ रहा है ।

2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.17.4 इस प्राधिकरण को पिछले प्रभाव से तदर्थ रू प में अपनाई गई अंतरिम दर को मान्य करने की अनुज्ञा प्रदान करता है । विशेष लेवी की मात्रा निर्णित करते समय, पत्तन द्वारा क्रियान्वित तदर्थ लेवी के आधार पर वीपीटी द्वारा अर्जित आय पर 1 अप्रैल 2010 से 28 फरवरी 2011 तक के लिए विचार किया गया है और अनुमेय स्तर से अधिक राजस्व को विगत अवधि घाटे के समक्ष समायोजित किया गया है । अतएव, पत्तन द्वारा 1 अप्रैल 2010 से तदर्थ आधार पर लागू की गई लेवी को इस प्राधिकरण द्वारा मान्य किया जाता है ।

13.1 परिणाम स्वरू प, और ऊपर प्रदत्त कारणों से तथा समग्र विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण वीपीटी के प्रचलित दरमान में शामिल किए जाने के लिए निम्नलिखित दरों को खंड 4 - कार्गो संबंधी प्रभार के अन्तर्गत अनुसूची 4.7.4 के रू प में अनुमोदन प्रदान करता है :-

<u>अनुसूची 4.7.4 - कार्गो प्रहस्तन संभाग से कार्गो प्रहस्तन कर्मचारी की सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रभारों की लेवी</u>

4.7.4.1 टाइम-रेट-वेजेज़ पर लेवी

ब्यौरा	टाइम रेट वेज पर लेवी की प्रतिशतता
कार्गो प्रहस्तन संभाग से कार्गो प्रहस्तन कर्मचारी की सेवाएं प्राप्त करने वाले सभी कार्गो के लिए - वैगन उतारने के लिए कार्गो प्रहस्तन कर्मचारी की सेवाएं लेने वाले तापीय कोयले समेत	234%

नोटः

1. ऊपर निर्देशित लेवी, प्रचलित वेतन क़रार / प्रोत्साहन योजना की विभिन्न धाराओं के अनुसार कर्मचारियों को देय टाइम रेट वेजेज़ और पीस रेट वेजेज़ की वसूली के अतिरिक्त है ।

2. उपर्युक्त लेवी स्टीवेडरों द्वारा वीपीटी को देय है।

4.7.4.2 विशेष लेवी

ब्यौरा	टाइम रेट वेज पर अतिरिक्त विशेष लेवी की प्रतिशतता
कार्गो प्रहस्तन कर्मचारी की सभी कार्गो प्राप्त करने वाली सेवाओं पर और वैगन उतारने के लिए कार्गो प्रहस्तन कर्मचारियों की सेवाएं लेने वाले तापीय कोयला पर भी।	31%

नोट :
ऊपर प्रदत्त विशेष लेवी, कार्गो प्रहस्तन के लिए सीएचडी से कर्मचारियों की तैनाती के लिए ऊपर अनुसूची 4.7.4.1 में प्रदत्त लेवी के अतिरिक्त है।

13.2 अनुमोदित लेवी 1 मार्च 2011 से लागू हो जाएगी और 31 मार्च 2014 तक वैध रहेगी।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के कार्गो प्रहस्तन से संबंधित लागत विवरणी

संलग्नक -I

रू पयों में

		वीपीटी द्वारा प्रस्तुत						प्राधिकरण द्वारा परिवर्तित			
क्र.सं.	विवरण	वास्तविक		वर्तमान में ली जा रही लेवी पर वीपीटी द्वारा अनुमान				प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया अनुमान वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए लेवी आय छोड़कर			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
I	आय			250 एवं 300%	300%	300%	300%				
(i)	टाइम रेट वेजेज़	184540767	1130235332	179749000	170050000	185056000	201057000	183698792	197640414	214479692	232783468
(ii)	पीस रेट वेज	84081989	28241832	30608000	29771000	29664000	29521000	30608000	29771000	29664000	29521000
(iii)	लेवी	156560633	152303661	639531000	598062000	643168000	694171000	0	0	0	0
(iv)	किराए से प्राप्तियां	3517602	3123366	3218000	3377000	3544000	3721000	3218000	3377000	3544000	3721000
(v)	अन्य प्राप्तियां एवं विलंबित भुगतानों पर ब्याज	6219296	5216800	3234000	2042000	2083000	2120000	3234000	2042000	2083000	2120000
(vi)	ब्याज आय (निवेश, सहकारी समितियों को ऋण, कर्मचारियों को अग्रिम पर)	7505901	7060312	6090000	5380000	4927000	5016000	0	0	0	0
	आय का कुल योग	**442426188**	**308969503**	**862430000**	**808682000**	**868442000**	**935606000**	**220758792**	**232830414**	**249770692**	**268145468**
II	व्यय										
(i)	टाइम रेट वेजेज़	151905621	105072798	161749000	164050000	181056000	198057000	163090061	176222301	191990672	209169997
(ii)	पीस रेट वेजेज़	84081989	28241832	30608000	29771000	29664000	29521000	30608000	29771000	29664000	29521000
(iii)	कर्मचारियों को भुगतान	96752066	197575595	198946000	185000000	194250000	203962000	192994344	188784620	180798662	183849167
(iv)	अधिकारियों एवं प्रशा.कर्म. को भुगतान	64218752	75149578	69652000	70218000	73729000	77415000	69652000	65314357	59349030	59916214
(v)	प्रशासनिक व्यय	12482309	7035191	6130000	6154000	6424000	6751000	5738302	5676522	5853290	6080388
(vi)	कर्मचारी कल्याण व्यय-स्वास्थ्य, मनोरंजन, आवास, कैंटीन आदि पर	38912004	42179538	70118000	72250000	76898000	81969000	67216395	67044909	69089632	71029853
(vii)	मूल्य हास	2497519	2762140	2762000	2762000	2762000	2762000	2762000	2762000	2762000	2762000
(viii)	वित्त एवं विविध व्यय										
(क)	पेंशन निधि को अंशदान, उपादान लिधि परिवार सुरक्षा योजना इत्यादि को अंशदान	56537250	212408206	194065000	195830000	205621000	226183000	194065000	195830000	203193208	210833273
(ख)	बैंक ऋण, भवि.नि.न्यास आदि को ब्याज	9848734	4338439	2255000	0	0	0	0	0	0	0
(ग)	पिछले वर्ष से संबंधित मद	0	23909	8700000	0	0	0	3500000	0	0	0
(घ)	सामुहिक छुट्टी नकदीकरण योजना	0	47400000	13364000	0	0	0	13364000	0	0	0
(ड़)	कर्मचारियों एवं प्रशा. कर्म.को वीआरएस लाभ	0	4185085	22826000	22826000	22826000	22826000	0	0	0	0
	प्रचालन व्यय	**517236244**	**726372311**	**781175000**	**748861000**	**793230000**	**849446000**	**74990102**	**731405709**	**742700494**	**773161892**
III	अधिशेष / घाटा	-74810056	-417402808	81255000	59821000	75212000	86160000	-522231311	-498575295	-492929802	-505016424
IV	नियोजित पूंजी			15291000	10040000	4994000	18000	20822000	18060000	15298000	12536000
(i)	व्यापारिक परिसंपत्ति			4307000	2769000	1387000	5000	5830160	5056800	4283440	3510080
(ii)	व्यापार संबंधी परिसंपत्ति			10984000	7271000	3607000	13000	14991840	13003200	11014560	9025920
V	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ										
(i)	व्यापारिक परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ 16%			689000	443000	222000	1000	932826	809088	685350	561613

(ii)	व्यापार संबंधी परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ 6.35%(हमारी गणना 8.4%पर है)प्रतिलाभ पूंजी नियोजित			697000	461000	229000	1000	1259315	1092269	925223	758177
				1386000	904000	451000	2000	2192140	1901357	1610573	1319790
VI	कुल व्यय + प्रतिलाभ	517236244	726372311	782561000	749765000	793681000	849448000				
VII	शुद्ध अधिशेष / घाटा	-74810056	-417402808	79869000	58917000	74761000	86158000	-524423451	-500476652	-494540376	-506336214
VIII	शुद्ध अधिशेष / घाटा-टाइम-रेट-वेजेज़ की % के रू प में							-285%	-253%	-231%	-218%
IX	औसत घाटा % के रू प में (मार्च 2011 से मार्च 2014 तक								-234%		
X	(घाटा) / विगत अवधि हानि के समायोजन के बाद	-225729197	-554000000	-474131000	-415214000	-340453000	-254295000				